REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062022-236686 CG-DL-E-18062022-236686

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2668] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2022/ज्येष्ठ 27, 1944 No. 2668] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2022/JYAISHTHA 27, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

**का.आ. 2802(अ).**—केंद्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 के उपनियम (2) और उपनियम (3) में, ''उसकी पत्नी'' शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, ''उसकी पत्नी या उसका पति'' शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

''**13. दावों और आक्षेपों के लिए प्ररूप**—(1) नामावली में नए निर्वाचक के रूप में नाम को सम्मिलित करने के लिए प्रत्येक दावा प्ररूप 6 में होगा और आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।

(2) विद्यमान नामावली में नाम के प्रस्तावित समावेश के लिए प्रत्येक आक्षेप या नाम को हटाए जाने के लिए आवेदन प्ररूप 7 में होगा और केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसका नाम पहले से ही उस नामावली में सम्मिलित है । (3) नामावली में की किसी प्रविष्टि की विशिष्टि या विशिष्टियों की बाबत प्रत्येक आक्षेप या निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर या निर्वाचन-क्षेत्र के बाहर निवास-स्थान के स्थानांतरण के लिए आवेदन या प्रविष्टियों में सुधार करने या अद्यतन करने के लिए आवेदन प्ररूप 8 में होगा और केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिससे वह प्रविष्टि संबद्ध है ।

4. उक्त नियमों के नियम 14 में,--

(i) प्रारंभिक भाग में, ''विशिष्टियों में शुद्धि के लिए या प्रविष्टियों के क्रम में परिवर्तन के लिए आवेदन'' शब्दों के स्थान पर, ''विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में सुधार के लिए या निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर या निर्वाचन-क्षेत्र के बाहर निवास-स्थान के स्थानांतरण के लिए आवेदन'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) में, ''रजिस्ट्रीकरण आफिसर'' के स्थान पर, ''ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का रजिस्ट्रीकरण आफिसर, जिसमें आवेदक साधारणतया निवास कर रहा है'' शब्द रखे जाएंगे;

5. उक्त नियमों के नियम 15 में,--

(i) उपनियम (1) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(क) प्ररूप 9 में दावों की सूची, प्ररूप 10 में नामों के सम्मिलित किए जाने की बाबत आक्षेपों की सूची, प्ररूप 11 में विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों के आक्षेपों की सूची या प्रविष्टियों में सुधार करने या अद्यतन करने के लिए आवेदन और प्ररूप 11क में निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर निवास-स्थान के स्थानांतरण के लिए आवेदन की सूची और प्ररूप 11ख में निर्वाचन-क्षेत्र के बाहर निवास-स्थान के स्थानांतरण के लिए आवेदन की सूची दो प्रतियों में रखेगा; और";

(ii) उपनियम (2) में, ''विशिष्टियों में शुद्धि के लिए या प्रविष्टियों के क्रम में परिवर्तन के लिए'' शब्दों के स्थान पर, ''विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में सुधार करने के लिए या प्रविष्टियों में सुधार करने या अद्यतन करने के लिए आवेदन या निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर या निर्वाचन-क्षेत्र के बाहर निवास-स्थान के स्थानांतरण के लिए आवेदन'' शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 16 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) प्ररूप 9, प्ररूप 10, प्ररूप 11, प्ररूप 11क और प्ररूप 11ख में पांच सूचियों को दो प्रतियों में रखेगा और सीधे नियम 14 के अधीन किए गए या नियम 15 के अधीन भेजे गए प्रत्येक दावे या आक्षेप की विशिष्टियां उन सूचियों में वैसे ही और तब प्रविष्ट करेगा जब, विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में सुधार करने के लिए आवेदन या प्रविष्टियों में सुधार करने या अद्यतन करने के लिए आवेदन या निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर या निर्वाचन-क्षेत्र के बाहर निवास-स्थान के स्थानांतरण के लिए आवेदन, जब उसे प्राप्त हो; और"।

7. उक्त नियमों के नियम 26 में,--

(i) उपनियम (1) में, ''6, 6क, 7, 8, 8क और 8ख'' अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर, ''6, 6क, 7 और 8'' अंक अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपनियम (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

''(1क) ऐसा प्रत्येक आवेदन, जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट किया जाता है, अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से, अर्थात् वर्ष की 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर है, रजिस्ट्रीकरण आफिसर के पास ऐसी रीति में प्रस्तुत किया जाएगा, जो निर्वाचन आयोग निदेश दे।''।

8. उक्त नियमों के नियम 26 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"**26क. संशोधनों की सूची का विलयन और एकीकरण**—उपनियम (1क) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हता की तारीखों के लिए निर्देश के साथ तैयार की गई संशोधनों की सूची को, प्रत्येक निर्वाचन और उप-निर्वाचन के पूर्व, अंतिम रूप से प्रकाशित नामावली और नियम 10 के अधीन प्रारूप के रूप में प्रकाशित नामावली के साथ विलयन और एकीकरण किया जाएगा और उक्त निर्वाचन के निकट की अर्हता की तारीख के लिए निर्देश के साथ पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, जो निर्वाचन आयोग निदेश दे।

26ख. विद्यमान निर्वाचकों द्वारा आधार संख्यांक उपलब्ध कराने के लिए विशेष उपबंध—प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम नामावली में सम्मिलित किया जाता है, अधिनियम की 23 की उपधारा (5) के अनुसार प्ररूप 6ख में रजिस्ट्रीकरण आफिसर को अपना आधार संख्यांक सूचित कर सकेगा।"। 9. उक्त नियमों के प्ररूप 1, प्ररूप 2, प्ररूप 2क और प्ररूप 3 के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

''प्ररूप-1	पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित												
(नियम 7 देखिए)	करते हुए नवीनतम अहस्ताक्षरित												
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 19	)60	पासपोर्ट आकार के फोटो (4.5											
-		से.मी. x 3.5 से.मी.) चिपकाने के											
घोषित पद को धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा मामूली नि		लिए स्थान।											
निजी ब्यौरे पूरा नाम													
नातेदार का नाम													
नातेदार के प्रकार पिता माता	पति पत्नी	अन्य											
आयु वर्ष मास जन्म की ता	रीख ता ता / मा मा	/ व व व व											
लिंग पुरुष महिला													
धृत पद													
र्ड्रग प्र													
आधार के ब्यौरे : (कृपया उचित खाने में सही का निशान लगाएं)													
(क) आधार सं.		या या											
(ख) मैं आधार संख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास	ा आधार संख्या नहीं है												
मोबाइल सं. (वैकल्पिक)													
ई-मेल पता (वैकल्पिक)													
मैं घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और यदि मैं ऊपर व	र्णित पद धारण किए न होता तो मैं नि	म्न स्थान पर मामूली तौर पर											
निवासी होता :													
मकान/भवन/अपार्टमेंट संख्या	गली/मोहल्ला												
परिक्षेत्र	नगर/ग्राम												
डाकधर	प्लिस थाना												
तहसील/तालुका/मंडल	ें पिन कोड												
जिला	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र												
सभा निर्वाचन क्षेत्र	-												
मैं यह अतिरिक्त घोषणा करता/करती हं कि मेरा/मेरी (पति/पत्नी) श्री/श्रीम	ाती .	जिसकी											
आयुं वर्ष मास जन्म की तारीख		व व व											
े है, मेरे साथ मामूली तौर पर निवास करता/करती है और वह भारत का/की													
मै यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैंने "और मेरी पत्नी या पति ने		करण कराया हैं भौर न ही दम											
स्थान में जहां वर्तमान में कार्यरत हूं और रह रहा/रही हूं या किसी अन्य													
रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है ।													
	चो मा रगी निर्वाचन क्षेत्र में मा शिल्ल	निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रधान मे											
मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मुझे उस विधि की जानकारी है,													
अधिक स्थानों पर निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करवाने के लिए प्रतिगि													
स्थानों पर इस प्रकार प्रकट होता है तो मेरे मूल निवास स्थान, जिसके	लिए मन केयन किया ह, के सिवाय एस	समा स्याना स उस हटा ।दया											
जाए ।													
तारीख :													
(निर्वाचन कार्याल	(हस्ता) य में उपयोग हेतु)	aix <i>)</i>											
कथन													
के लिए निर्वाचन नामावली में भाग सं क्रम सं.	पर राजस्ट्राकृत कि	या गया ।											
तारीख : निर्वाचन रजिस्ट्रीव	न्रण आफिसर												
ैंजो लागू न हो तो काट दीजिए ।													

''प्ररूप-2		पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते											
(नियम 7 देखि		हुए नवीनतम अहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार के फोटो (4.5 से.मी. x 3.5											
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण	नियम, 1960							) चिपकाने					
सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मामूली वि	नेवास स्थान के	बारे में क	थन										
	निजी ब्यौँ	<u>रे</u>											
पूरा नाम													
नातेदार का नाम													
नातेदार के प्रकार 📄 पिता 📄 माता	ч	ति	[		पत्नी	· [	अ	न्य					
आयु वर्ष मास जन्म	की तारीख	ता	ता /	मा	मा	/ व	ा व	व व					
लिंग पुरुष महिला													
ईपीआईसी सं. (यदि जारी की गई हो)													
आधार के ब्यौरे : (कृपया उचित खाने में सही का निशान लगाएं)													
(क) आधार सं. या													
(ख) में आधार संख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता क्यों।	के मेरे पास आ	धार संख्य	नहीं है										
मोबाइल सं. (वैकल्पिक)													
मैं घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और यदि	मैं सशस्त्र बलों	में सेवा व	न करत	ग तो	मैं नि	ाम्न स्थ	ान पर	मामूली	तौर	पर निवासी			
होता :								Ň					
मकान/भवन/अपार्टमेंट संख्या	गली/मोहल्ल	Т											
परिक्षेत्र	नगर/ग्राम												
डाकघर	पुलिस थाना												
तहसील/तालुका/मंडल	पेन कोड												
जिला	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र												
सभा निर्वाचन क्षेत्र													
	<u>सेवा के ब्य</u>	<u>ौरे</u>											
सेवा/बक्सुआ सं													
पंक्ति													
सशस्त्र बल का नाम													
सेवा/कोर/रेजीमेंट													
अभिलेख कार्यालय का नाम और पता									•				
मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मेरा/मेरी (पति/पत्नी) श्र आयु वर्ष मास जन्म	॥/श्रामता की तारीख	ता	ता /	मा	मा	/ व	ा व	जिस व व	का				
है, मेरे साथ मामूली तौर पर निवास करता/करती है और वह 8													
मै यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैंने 'और मेरी पत्नी			न मैंने	ਧੁਫ਼ ਕੇ	से ही	रत्निम्र्ट	ोकरण	कराया वे	ਤੋਂ ਮੀਹ	न ही दम			
स्थान में जहां वर्तमान में कार्यरत हूं और रह रहा।/रही हूं र													
निर्वाचकों के रूप में ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया	ते । हे ।	10141401	<b>4</b> 14 47	1 1010		• 11• 11• 4(1	1 -17 <b>X</b> 1		•11-1				
मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मुझे उस विधि की जान		उसी निव	ਸਿਹਜ ਲੰ	ਜੇ ਸ਼ ਸ਼ੇ	। भिन्न	र निर्वाच	ਜ ਲੀ ਕ	में एक	म्थाल	ा से अधिक			
स्थानों पर निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करवाने के लिए प्र													
पर इस प्रकार प्रकट होता है तो मेरे मूल निवास स्थान, जिस													
सभी स्थानों से उसे हटा दिया जाए ।				-									
तारीख :													
						(हर	न्ताक्षर)						
अभिलेख कार्यालय/कमांडेंट कार्यालय	:	सत्यापित	किया व	गया	और ठी	क पाया	गया						
फोलियो सं		(हस्ताक्षर)					-						
स्थान			(पदना										
तारीख				, –		क आपि	सर						

### (निर्वाचन कार्यालय में उपयोग हेतु)

तारीख : ..... निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण आफिसर .....

\*जो लागू न हो तो काट दीजिए ।

"प्ररूप-2क पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शि														ा उपदर्शित						
(नियम 7 देखिए)															करते हुए नवीनतम अहस्ताक्षरित					
	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960																		जेटो (4.5	
राज्य के सशस्त्र पुलिर				~					से ब	। हर	सेवा व	न्र रह	ा ह <u>ै</u> .				से.र्म	ì.) f	चेपकाने के	
3				स स्थ	-					•			•••	f	लेए स	থান ।				
िनजी ब्यौरे																				
पुरा नाम																				
नातेदार का नाम																				
नातेदार के प्रकार		पिता			मात	ग			पति				पत्नी	Ī	•	अन्य				
आयु	वर्ष			मास	3	नन्म व	की ता	रीख		ता	ता	/ मा	मा	/	व	व व	व			
		पुरुष			महि	ला														
ईपीआईसी सं. (यदि जारी र्क	ने गई	ू हो) _			-															
आधार के ब्यौरे : (कृपया उ	चित र	वाने में	ं सही	का नि	ोशान	लगाएं	)													
(क)	आ	धार स	ŧ.														या			
(ख) मैं आधार स	ांख्या	प्रस्तुत	नहीं	कर स	कता	क्योंवि	न मेरे	पास	आधार	संख्य	ग नहीं	है								
मोबाइल सं. (वैकल्पिक)																				
ई-मेल पता (वैकल्पिक)																				
मैं घोषणा करता हूं कि मैं ध	भारत	का ना	गरिक	हूं औ	र यदि	र मैं र	ाज्य	के बाह	हर सः	शस्त्र प	नुलिस	सेवा न	कर र	हा ह	ोता तं	ो मैं नि	म्न स	थान	पर मामूली	
तौर पर निवासी होता :																				
मकान/भवन/अपार्टमेंट संख्या	-								गली/म	नोहल्ल	Π									
परिक्षेत्र								;	नगर/व	ग्राम										
डाकघर									पुलिस थाना											
तहसील/तालुका/मंडल									पन कोड											
जिला								1	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र											
सभा निर्वाचन क्षेत्र																				
							<u>से</u>	वा के	<u>ब्यौरे</u>											
सेवा/बक्सुआ सं.		_															_			
पंक्ति		-															_			
सशस्त्र पुलिस बल का नाम		-																		
कमांडेंट के कार्यालय का नाय																	_	_		
मैं यह और घोषणा करता/क	रती हू	्कि ग	नेरा/मे	री (परि													जिसव	ते ।		
आयु	वर्षे			मास		नन्म व				ता	ता	/ मा	मा	/	व	व व	व			
है, मेरे साथ मामूली तौर पर														-						
मै यह और घोषणा करता/व		•																		
स्थान में जहां वर्तमान में								ो अन्	य नि	वोचन	क्षेत्र व	को निव	ोचन न	नमाव	वली वे	न साधा	रण भ	गग व	में साधारण	
निर्वाचकों के रूप में ऐसे रवि मैं यह भी घोषणा काना/का								<del>رت</del> ∉	ਗ ਕ	<del>ሰ</del> 🕞	ਸੀਜਾ⊐	ਖ਼ੇਰ ਜੱ	- 191	Ð	र्भन्तः	क्षेत्र में	त्तर -	י-יופ	. मे अधिज्ञ	
मैं यह भी घोषणा करता/कर म्थानों पर निर्वाचक के रूप																				
स्थानों पर निर्वाचक के रूप पर इस प्रकार प्रकट होता है			-																	
יו הוא אייר אייר ואק אי	. (11. 0		1010	1111 5	-11v1,	101414	1111	1010	7,90	19/0				10110	1 Y II Y	. 211(10	01101	47	111919 111	

सभी स्थानों से उसे हटा दिया जाए ।

[PART II—SEC. 3(ii)]

तारीख	:	

......(हस्ताक्षर)

कमांडेंट कार्यालय	सत्यापित किया गया और ठीक पाया गया												
फोलियो सं	(हस्ताक्षर)												
 स्थान	(पदनाम)												
तारीख	कमांडेंट												
(निर्वाचन कार्यालय में उपयोग हेतु)													
कथन20	को प्राप्त हुआसभा निर्वाचन क्षेत्र सं.												
के लिए निर्वाचन नामावली में सेवा नियोजित मतद	ाता भाग क्रम सं पर रजिस्ट्रीकृत किया गया ।												
तारीख : निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण आफिसर													
ैजो लागू न हो तो काट दीजिए ।													
''प्ररूप-3	पूरे चेहरे को सामने से ~~												
(नियम 7 देखिए)	उपदर्शित करते हुए												
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम,	1960 अहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार												
भारत के बाहर पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित व्य	कित द्वारा मामूली निवास स्थान के नवीनतम फोटो (4.5 से.मी.)												
बारे में कथन	स.मा. x 5.5 स.मा.) चिपकाने के लिए स्थान ।												
<u>निउ</u>	<u>ी ब्यौरे</u>												
प्रा नाम													
नातेदार का नाम													
नातेदार के प्रकार िपिता माता	पति पत्नी अन्य												
आयु वर्ष मास जन्म की तारी	ब ता ता / मा मा / व व व												
लिंग पुरुष महिला													
ईपीआईसी सं. (यदि जारी की गई हो)													
आधार के ब्यौरे : (कृपया उचित खाने में सही का निशान लगाएं)													
(क) आधार सं.	या												
(ख) मैं आधार संख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे प	म आधार संख्या नहीं है												
मोबाइल सं. (वैकल्पिक)													
ई-मेल पता (वैकल्पिक)													
में घोषणा करता हं कि मैं भारत का नागरिक हं और यदि मैं भारत सर	कार के अधीन नीचे वर्णित पद धारण किए न होता तो मैं निम्न स्थान पर												
(पूरा डाक पता) मामूली तौर पर निवासी होता :													
मकान/भवन/अपार्टमेंट संख्या	गली/मोहल्ला												
परिक्षेत्र	नगर/ग्राम												
डाकघर	पुलिस थाना												
तहसील/तालुका/मंडल	े पिन कोड												
जिला	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र												

सभा निर्वाचन क्षेत्र \_

सेवा के ब्यौरे												
विशिष्ट पहचान सं.												
भारत के बाहर धृत पद के ब्यौरे												
कार्यालय प्रमुख का पता												
में यह और घोषणा करता हूं कि मेरा/मेरी (पति/पत्नी) श्री/श्रीमती												
आयु वर्ष मास जन्म की तारीख ता ता / मा मा / व व व व												
है, मेरे साथ मामूली तौर पर निवास करता/करती है और वह भारत का/की नागरिक है ।												
मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैंने 'और मेरी पत्नी या पति ने न तो स्वयं'/न मैंने पहले से ही रजिस्ट्रीकरण कराया हैं और न ही इस												
स्थान में जहां वर्तमान में कार्यरत हूं और रह रहा/रही हूं या किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली के साधारण भाग में साधारण												
निर्वाचकों के रूप में ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है ।												
में यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मुझे उस विधि की जानकारी है, जो या उसी निर्वाचन क्षेत्र में भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान से अधिक												
स्थानों पर निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करवाने के लिए प्रतिषिद्ध करती है और यदि मेरा नाम या मेरे पति या पत्नी का नाम भिन्न स्थानों												
पर इस प्रकार प्रकट होता है तो मेरे मूल निवास स्थान, जिसके लिए मैंने कथन किया है, की निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग के सिवाय ऐसे												
सभी स्थानों से उसे हटा दिया जाए ।												
तारीख :												
(हस्ताक्षर)												
सत्यापित किया गया और ठीक पाया गया												
(हस्ताक्षर)												
कार्यालय प्रमुख का पदनाम												
(निर्वाचन कार्यालय में उपयोग हेतु)												
कथनको प्राप्त हुआ सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. के लिए निर्वाचन नामावली में सेवा नियोजित मतदाता भाग क्रम सं पर रजिस्ट्रीकृत किया गया ।												
तारीख : निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण आफिसर												

\*जो लागू न हो तो काट दीजिए ।

10 उक्त नियमों के प्ररूप 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

	"प्ररूप 6													
	[नियम 13(1) और (26) देखिए] प्ररूप संo.													
	भारत निर्वाचन आयोग (कार्यालय द्वारा भरा													
	जाए)													
	नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र													
सेवा में,														
	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर,													
	सभा निवार्चन क्षेत्र की संख्या और नाम सं. नाम													
या	संसदीय निवार्चन क्षेत्र की संख्या और नाम @ सं. नाम													
	(@ केवल उन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जहां विधानसभा नहीं है)													
	मैं उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन													
	प्रस्तुत करता/करती हूं ।													

(1)(क) नाम (राज्य की राजभाषा में)												
प्रथम नाम, उसके पश्चात् मध्य नाम	सफेद पृष्ठभूमि											
	के साथ पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए अहस्ताक्षरित रंगीन पासपोर्ट आकार (4.5 से.मी. X 3.5 से.मी.) की नवीनतम फोटो चिपकाने के लिए स्थान											
उपनाम (यदि कोई हो)												
(1)(ख) नाम (अंग्रेजी में, बड़े अक्षरों में)												
प्रथम नाम, उसके पश्चात् मध्य नाम												
उपनाम (यदि कोई हो) अस्वीकरण : यदि नाम अंग्रेजी में नहीं भरा जाता है, तो उसका सॉफ्टवेयर द्वारा लिप्यन्तरण किय	<u>मा जाएगा ।</u>											
*(2)(क) नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम (राज्य की राजभाषा में):- पिता या माता या पति या पत्नी या संरक्षक												
*(2)(ख) उपरोक्त उल्लिखित नातेदार का नाम और उपनाम (अंग्रेजी में, बड़े अक्षरों में )												
(3) स्वयं की मोबाइल सं0 (यदि उपलब्ध है)       (या)         मद सं. 2 पर उल्लिखित नातेदार की मोबाइल सं0         (4) स्वयं का ई-मेल खाता (यदि उपलब्ध है)         (या)												
मद सं. 2 पर उल्लिखित नातेदार का ई- मेल खाता												

(5) आधार के ब्यौरे:- ((समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगाए)													
<ul> <li>(क) आधार सं0</li> <li>(ख) मैं आधार सं0 प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है ।</li> </ul>													
(6) लिंग पुरूष स्त्री तृतीय लिंग													
<ul> <li>(7) (क) जन्म तारीख</li> <li>ता ता / मा मा / व व व व</li> <li>(ख) आयु के सबूत के समर्थन में दस्तावेज की स्व:प्रमाणित प्रति संलग्न है (निम्नलिखित में से कोई एक)</li> </ul>													
(i) <u>जन्म तारीख के सब्त के प्रमुख दस्तावेज</u> ^:- (इनमें से कोई एक)													
<ol> <li>सक्षम स्थानीय निकाय/नगरपालिक प्राधिकरण/जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र</li> <li>त्र के प्राण्य के प</li></ol>													
2.       आधार कार्ड       3.       पैन कार्ड       4.       चालन अनुज्ञप्ति         5.       सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य शिक्षा बोर्डो द्वारा जारी कक्षा 10       6.       भारतीय पासपोर्ट         या कक्षा 12 का प्रमाणपत्र, यदि इसमें जन्म तारीख       अंतर्विष्ट है ।       भारतीय पासपोर्ट	या कक्षा 12 का प्रमाणपत्र, यदि इसमें जन्म तारीख												
(ii) जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज :- <i>(यदि कोई प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो</i> )(कृपया विनिर्दिष्ट करें)													
(8) (क)     मकान/भवन/अपार्टमेंट सं0     गली/क्षेत्र/स्थानीय क्षेत्र/मोहल्ला/रोड       वर्तमान	ĺ												
साधारण नगर/गांव डाक घर निवास (पूरा													
पता) पिन कोड तहसील/तालुका/मंडल													
जिला राज्य/संघ राज्यक्षेत्र													

(ख) या तो आवेदक के नाम में या माता-पिता/पति-पत्नी/वयस्क बच्चों, यदि उसी पते पर निर्वाचक के रूप से ही नामांकित है, में से किसी एक के नाम में पते की स्व:प्रमाणित प्रति (उनमें से कोई एक संलग्न व	
	प में पहले
বি চা আলা।পনে চ, ল বি ।পরা ধক ক আল ল খন কা ধ্ব.সলা।এন সান (১লল বি কাই থক ধ্পিটল ব	करे)
(i) निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज <u>^:-</u> (इनमें से कोई एक)	
	ार कार्ड
3. राष्ट्रीय/अन्सूचित बैंक/डाक घर की वर्तमान पास बुक <sup>4.</sup> भारत	नीय पासपोर्ट
<sup>5.</sup> राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है	
	<del>िको</del> ज (प्रत्यां
के घर की दशा में)	
(ii) निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज : -	
(यदि प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें ) "	
(9) दिव्यांगता का प्रवर्ग, यदि कोई हो (वैकल्पिक) 🛛 चलित्र 🗌 दृष्टि 🗌 मुक-	-बधिर
यदि कोई और हो (वर्णन करें)	
שוע שוים טוג פו (ארוטי שוג)	
(10) मेरे परिवार के सदस्यों, जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित	है और
जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूं, के ब्यौरे निम्नानुसार है :	
परिवार के सदस्य का आवेदक के साथ संबंध	
नाम:	
उसका निर्वाचक फोटो	
पहचान पत्र सं0 :	
घोषणा	
मैं घोषणा करता हूं कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार,	
(i) मैं भारत का नागरिक हं और मेरे जनम का स्थान है : ग्राम/	) ਭਾਵਤ
ק (ג) יו מוזגו איו מויווגאי פ אוג מג טמִים איו לאומ לי מואוגע איו מויווגאי פ אוא מג ממִים או לאו לי	167
	-
जिला राज्य/संघ	राज्यक्षेत्र
*	राज्यक्षेत्र
जिला राज्य/संघ	राज्यक्षेत्र
जिला राज्य/संघ (ii) मैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8(क) में दिए गए पते वाले स्थान में (मास और वर्ष का वर्ण मामूली तौर से निवासी हूँ ।	राज्यक्षेत्र न करें) से
जिला राज्य/संघ (ii) मैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8(क) में दिए गए पते वाले स्थान में (मास और वर्ष का वर्ण मामूली तौर से निवासी हूँ । (iii) मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूं और किसी स	राज्यक्षेत्र न करें) से
जिला राज्य/संघ (ii) मैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8(क) में दिए गए पते वाले स्थान में (मास और वर्ष का वर्ण मामूली तौर से निवासी हूँ ।	राज्यक्षेत्र न करें) से
जिला राज्य/संघ (ii) मैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8(क) में दिए गए पते वाले स्थान में (मास और वर्ष का वर्ण मामूली तौर से निवासी हूँ । (iii) मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूं और किसी स क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है ।	राज्यक्षेत्र न करें) से भा निर्वाचन
जिला राज्य/संघ (ii) मैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8(क) में दिए गए पते वाले स्थान में (मास और वर्ष का वर्ण मामूली तौर से निवासी हूँ । (iii) मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूं और किसी स क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है । (iv) मेरे पास आयु सबूत के प्रमुख दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है । अत:, मैंने आयु सबूत के	राज्यक्षेत्र न करें) से भा निर्वाचन
जिला राज्य/संघ (ii) मैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8(क) में दिए गए पते वाले स्थान में (मास और वर्ष का वर्ण मामूली तौर से निवासी हूँ । (iii) मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूं और किसी स क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है ।	राज्यक्षेत्र न करें) से भा निर्वाचन
जिला राज्य/संघ (ii) मैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8(क) में दिए गए पते वाले स्थान में (मास और वर्ष का वर्ण मामूली तौर से निवासी हूँ । (iii) मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूं और किसी स क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है । (iv) मेरे पास आयु सबूत के प्रमुख दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है । अत:, मैंने आयु सबूत के 	राज्यक्षेत्र न करें) से आ निर्वाचन 5 समर्थन में
जिला (ii) मैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8(क) में दिए गए पते वाले स्थान में (मास और वर्ष का वर्ण मामूली तौर से निवासी हूँ । (iii) मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूं और किसी स क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है । (iv) मेरे पास आयु सबूत के प्रमुख दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है । अत:, मैंने आयु सबूत के 	राज्यक्षेत्र iन करें) से भा निर्वाचन 5 समर्थन में और जिसके
<ul> <li>जिला जिला (गां, ग्रें प्रें प्रें प्रें गए पते वाले स्थान में</li></ul>	राज्यक्षेत्र न करें) से भा निर्वाचन क समर्थन में और जिसके <i>प्रतिनिधित्व</i>
<ul> <li>जिला जिला (ii) मैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8(क) में दिए गए पते वाले स्थान में (मास और वर्ष का वर्ण मामूली तौर से निवासी हूँ ।</li> <li>(iii) मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूं और किसी स क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है ।</li> <li>(iv) मेरे पास आयु सबूत के प्रमुख दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है । अत:, मैंने आयु सबूत के</li></ul>	राज्यक्षेत्र न करें) से भा निर्वाचन क समर्थन में और जिसके <i>प्रतिनिधित्व</i>
<ul> <li>जिला जिला</li> <li>(iii) मैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8(क) में दिए गए पते वाले स्थान में</li></ul>	राज्यक्षेत्र न करें) से भा निर्वाचन क समर्थन में और जिसके <i>प्रतिनिधित्व</i>
जिला       राज्य/संघ         (ii) मैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8(क) में दिए गए पते वाले स्थान में	राज्यक्षेत्र न करें) से भा निर्वाचन क समर्थन में और जिसके <i>ज्रतिनिधित्व</i> की हो सकेगी

अभिगम्यता अनुदेश :- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंधों के आलोक में, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात और बहु दिव्यांगता आदि वाले व्यक्ति की दशा में, दिव्यांग व्यक्ति का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या उसके/उसकी विधिक संरक्षक का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगुठे का निशान अपेक्षित होगा ।

<u>टिप्पण -</u>

<u>×</u>

े विवाहित स्त्री आवेदक की दशा में, अधिमानत: पति का नाम उल्लिखित किया जाए ।

- <sup>^</sup> उल्लिखित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति का प्रस्तुत किया जाना सेवाओं के त्वरित परिदान को सुनिश्चित करेगा ।
- <sup>#</sup> उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की दशा में, मौका सत्यापन आवश्यक है । उदाहरणार्थ, प्रवर्गों, जैसे गृहविहीन भारतीय नागरिकों, जो निर्वाचक होने के लिए अन्यथा योग्य है, लेकिन जिनके पास साधारण निवास के सबूत का कोई दस्तावेज नहीं है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मौका सत्यापन के लिए किसी अधिकारी को पदाभिहित करेगा ।

### <u> आवेदन के लिए अभिस्वीकृति/रसीद</u>

<u></u>	
अभिस्वीकृति संख्या	तारीख
	का प्ररूप 6 में आवेदन प्राप्त हुआ ।
[आवेदक, आवेदन की प्रास्थिति जांचने के लिए अभि	स्वीकृति संख्या का संदर्भ ले सकती है ।]

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर

प्ररूप 6 से संलग्न किया जाए

(\*के साथ चिन्हित स्थान आज्ञापक है)

### <u>प्ररूप 6 आवेदन भरे जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत</u>

### 1. <u>सामान्य अनुदेश :--</u>

(क) आवेदन, ऐसे सभा निर्वाचन क्षेत्र (एसी)/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (पीसी) के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को संबोधित किए जाएंगे, जिसमें आवेदक साधारणतया निवास करता है। यदि आवेदक सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम के बारे में नहीं जानता है या उसे कोई शंका है, तो उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा सहायता दी जा सकेगी और आवेदन को केवल सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम उल्लिखित न किए जाने के आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा।

(ख) आवेदक, अंग्रेजी या राज्य की राजभाषा में आवेदन की प्रविष्टियां भर सकता है और यह आवेदन को रद्द किए जाने का आधार नहीं होगा।

(ग) किसी शांत स्टेशन पर उसके पदस्थापन के स्थान पर निर्वाचक नामावली में साधारण निर्वाचक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन करने वाले सेवारत कार्मिक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में सेवारत मतदाता या साधारण निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित न हो। \*(घ) फोटो: सफेद पृष्ठभूमि के साथ अच्छी गुणवत्ता वाली, रंगीन पासपोर्ट आकार (4.5 से.मी. X 3.5 से.मी.) की नवीनतम अहस्ताक्षरित फोटो दिए गए स्थान पर चिपकाई जानी चाहिए। आंखे खुली होनी चाहिए और चेहरे के दोनों किनारे स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए ।

(ङ) निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) : ईपीआईसी, नामांकन के पश्चात्, समुचित पावती के साथ बिना किसी लागत के या स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिए गए डाक पते पर परिदत्त किया जाएगा।

- 2. <u>मद (1)\* (नाम)</u> : सही नाम और वर्तनी, राज्य की राजभाषा और अंग्रेजी दोनों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । यदि केवल एक भाषा में भरा गया है तो प्रणाली स्वत: ही अन्य भाषा में लिप्यन्तरण करेगी, जिससे वर्तनी में त्रूटियां हो सकती है।
- मद (2क) और मद (2ख) \*(नातेदार का नाम और उपनाम) : विवाहित महिला आवेदक की दशा में, अधिमानत: उसके पति का नाम उल्लेखित किया जा सकेगा। (स्तंभ में लागू नहीं होने वाले विकल्पों को काट दें।)
- मद (5) आधार के ब्यौरे : प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि आवेदक के पास आधार संख्या नहीं है तो मद 5(ख) पर बॉक्स में उसका उल्लेख किया जाए।

### 5. <u>मद (6) (लिंग)</u> :

\*(क) लिंग के लिए उपबंधित समुचित बॉक्स में स्पष्ट रूप से 'पुरूष'/'स्त्री'/'तृतीय लिंग' चिन्हित किया जाना चाहिए।

(ख) तृतीय लिंग से संबंधित आवेदक, अपने लिंग को 'पुरूष' के रूप में या 'स्त्री' के रूप में या 'तृतीय लिंग' के रूप में उपदर्शित कर सकेगा।

### 6. <u>मद (7)(क)(ख) (जन्म तारीख)</u> :

\*(क) आयु के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेजों में से किसी एक की स्व:प्रमाणित प्रति संलग्न की जा सकती है। प्रमुख दस्तावेज का प्रस्तुत किया जाना त्वरित रजिस्ट्रीकरण और सेवाओं के परिदान को सुनिश्चित करेगा।

(ख) यदि कोई प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को आयु के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करना चाहिए ; और उक्त दस्तावेज का नाम प्ररूप के भाग 'घोषणा' की मद 7(ii) और मद (iv) में उल्लिखित होना चाहिए । ऐसे मामलों में, आवेदक को सत्यापन के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर या किसी अन्य पदाभिहित ऑफिसर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा ।

## <u>मद (8)(वर्तमान साधारण निवास)</u>:

\*(क) साधारण निवास के सबूत के रूप में आवेदक/माता-पिता/पति-पत्नी के नाम के किसी प्रमुख दस्तावेज की स्व:प्रमाणित प्रति के साथ पिन कोड सहित पूरा डाक पता उल्लिखित किया जाना चाहिए।

(ख) शेड/फुटपाथों पर निवास करने वालें गृहविहीन भारतीय नागरिकों और ऐसे सेक्स वर्कर, जिनके पास साधारण निवास का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, की दशा में आवश्यक मौका सत्यापन किया जाएगा, यदि वे नामांकन के लिए अन्यथा योग्य हों।

(ग) विद्यार्थी, जो नामांकन के लिए योग्य हो, या तो अपने माता-पिता या ऐसे हॉस्टल/मैस के स्थान पर, जहां वे साधारणतया निवास करते है, नामांकन करा सकते हैं।

8. <u>\*घोषणा</u> : "घोषणा" भाग की सभी प्रविष्टियां सभी तरह से पूरी होनी चाहिए ।

# कुपया ध्यान दे कि घोषणा भाग में कोई मिथ्या कथन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय अपराध होगा ।"।

11. उक्त नियमों के प्ररूप 6क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

### "प्ररूप 6ख

# [नियम 26ख देखिए]

# भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या की सूचना का पत्र

मैं							(निर्वाच	वक का	नाम),	,								
			(सभा '	निर्वाचन	क्षेत्र/सं	सदीय	निर्वाच	न क्षेत्र	का न	नाम	न) में	नामांवि	फ्त हूं	और	मेरा	निर्वा	चिक ।	कोटो
पहचान पत्र सं0																		
है	I																	
मैं निर्वाचक नामावली में मेरी प्रविष्टि के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूं :																		
(समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगाए)																		
(क)		आधा	र सं0															या
	L				1	1							1			1		Į
(ख) मैं आधार सं0 प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है ।																		
										1	निर्वाच	ाक के ह	रस्ताक्ष	र :				
											निर्वाच	र्यक का	नाम :					
									ई-मेल	प	ता/मोर	बाइल स	io :					
स्थान	· :																	
तारीख	<b>a</b> :			"														

------

13

12. उक्त नियमों के प्ररुप 7 और प्ररुप 8 के स्थान पर क्रमश:, निम्नलिखित प्ररुप रखे जाएंगे, अर्थात् :-							
"प्ररुप-7							
(नियम 13 (2) और (26) देखें)							
प्ररूप सं0							
(कार्यालय द्वारा भरा जाए)							
भारत निर्वाचन आयोग							
विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने/हटाने के प्रस्ताव के लिए आक्षेप हेतु मतदाता आवेदन प्ररुप							
सेवा में,							
ीर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,							
सं. और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम सं. 🗍 नाम							
या							
सं. और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम@ सं नाम							
(@केवल उन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जहां विधान सभा नहीं है ) मैं विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रस्तावित नाम को सम्मिलित करने/हटाने के प्रस्ताव के लिए आक्षेप हेतु आवेदन प्रस्तुत							
म विद्यमाने निर्वावक नामविला म प्रत्तावित नाम का ताम्मालत करने/हटान के प्रत्ताव के लिए जावव हुतु जावदन प्रत्तुत करता हूं।							
(1) आवेदक का नाम         (2) ईपीआईसी सं							
(2) इपाआइसा स							
नातेदार का मोबाइल संख्या							
(2) आवेदन/आक्षेप का विकल्प: (समुचित विकल्प पर सही का निशान लगाए) (कोई एक)							
(i) मैं वर्तमान नामावली में पहले से सम्मिलित नीचे उल्लिखित व्यक्ति के नाम को निम्नलिखित कारणों में से							
किसी एक कारण से हटाने का अनुरोध करता हूं । (किसी एक पर सही का निशान लगाएं)							
🗌 मृत्यु 🔄 अवयस्क 📄 अनुपस्थित/स्थायी रुप से स्थानांतरित							
पहले से नामांकित 📃 भारतीय नागरिक नहीं है ।							
L (ii) मैं निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से वर्तमान नामावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति के नाम							
को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूं । (किसी एक पर सही का निशान लगाएं)							
🔄 मृत्यु 🔄 अवयस्क 🤄 अनुपस्थित/स्थायी रुप से स्थानांतरित							
पहले से नामांकित 🛛 भारतीय नागरिक नहीं है ।							
[] (iii) मैं निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से निर्वाचक नामावली से अपने नाम को हटाने का अनुरोध							
करता हूं (किसी एक पर सही का निशान लगाएं)							
स्थायी रुप से स्थानांतरित							
पहले से नामांकित भारतीय नागरिक नहीं है ।							

	<u> </u>	· ·			- * ~ *				
(3) एर	स व्याक्त क ब्यार ाज				ग है, निम्नानुसार हैं :				
नाम_		उपन	गम		ईपीआईसी सं. (यदि उपलब्ध	हो)			
	मकान/भवन/अपार्टमें	ट सं.			गली/क्षेत्र/स्थानीय/मोहल्ला/सड़क				
	नगर/ग्राम				डाक घर				
	पिन कोड				तहसील/तालुका/मंडल				
	जिला				राज्य/संघ-राज्यक्षेत्र				
				घोष	זסון				
मैं य	ह घोषणा करता/करती	हं कि	मेरी सर्वोतम जान	कारी	और विश्वास के अनुसार कि मुझे	ज्ञात है कि ऐसा कथन			
					ा होने का मुझे ज्ञान या विश्वास हे				
					50 (1950 का 43) की धारा 31				
-					, दोनों से, दंडनीय है ।				
			5						
स्थान:	स्थान:								
तारीखः									
आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान									
सुगम्यतात्मक अनुदेश: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंधों									
के आलोक में, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात और बहुदिव्यांगता आदि वाले व्यक्ति की दशा में,									
दिव्यांगजन के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या उसके/उसकी विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर या उसके									
बाएं हा	थि के अंगूठे का निशा	न अपेरि	क्षेत होगा ।						
<u>आवेदन की अभिस्वीकृति/रसीद</u>									
अभिस्व	वीकृति सं								
eft/eft-	नती/स्श्री				का प्ररूप 7 म	र्ग अपनेत्रच गणच्च द्वश्य है			
	J	<u> </u>	$\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$	<u></u>		ז אויכן איירו געשויט וי אויכן איירו איירו איירי איירי איירי איירי			
िभावद	क, आवदन का प्रास्थि	ান জায	न्म कालत सामस्व	ျင်္ပု	ते संख्या का संदर्भ ले सकता है]।				
			Ę	आरः	ओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्त	<u>।क्षर</u>			

## <u>प्ररुप 7 आवेदन भरने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत</u>

1. साधारण अनुदेश :

(क) आवेदन,किसी निर्वाचन क्षेत्र की विद्यमान निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक द्वारा किया जा सकता है;

(ख) यह आवेदन किसी रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक के संबंध में कोई आक्षेप करने/किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, जिसमें आवेदक स्वयं रजिस्ट्रीकृत है, की निर्वाचक नामावली मे प्रविष्टि के प्रस्तावित सम्मिलन के संबंध में आक्षेप करने या निर्वाचक नामावली से आवेदक के अपने नाम को हटाने के अनुरोध के लिए किया जा सकता है

<mark>2. <u>मद संख्यांक 1 (आवेदक का नाम</u>):</mark> आवेदक अपना नाम, ईपीआईसी संख्यांक और अपना/नातेदार (पिता/माता/पति/विधिक संरक्षक) की मोबाइल सं. उल्लिखित करें ।

3. <u>मद संख्यांक 2 (आक्षेप/नाम हटाने के आवेदन का विकल्प)</u> : आवेदक को किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगाना होगा जिसके लिए वह आवेदन करने का आशय रखता है । उसे नीचे उल्लिखित कारणों, जैसे मृत्यु के कारण, अवयस्क , अनुपस्थिति/स्थायी रुप से स्थानांतरण, उसी स्थान या किसी अन्य स्थान पर पहले से ही निर्वाचन नामावली में नामांकित है, भारतीय नागरिक नहीं है आदि, के किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगाना होगा कि उसके अनुसार जिस व्यक्ति के विरुद्ध आक्षेप किया गया है, वह निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए क्यों अर्हित नहीं है। आक्षेप या नाम को हटाने के लिए दिए गए कारणों हेतु सबूत का भार आवेदक पर होता है । **4. <u>मद सं. 3 (ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे जिसके संबंध में आक्षेप किया गया है)</u> : आवेदक को ऐसे व्यक्ति का नाम, उपनाम, भाग सं., क्रम सं. और ईपीआईसी सं. भरनी होगी जिसके नाम को सम्मिलित करने हेतु आक्षेप किया गया है या जिसके नाम को हटाना इप्सित है । व्यक्ति के भाग सं. और क्रम सं. की www.nvsp.in या मतदाता हेल्पलाइन ऐप से खोज की जा सकती है ।** 

5. <u>घोषणा</u> : आवेदक को **"घोषणा"** करनी होगी कि आवेदन में वर्णित तथ्य और विशिष्टयां उसकी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। <u>कृपया यह नोट करें कि घोषणा के किसी भाग में किया गया कोई मिथ्या कथन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,</u> <u>1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने</u> <u>से, दोनों से, दंडनीय है।</u>

(नियम 13 (3) और (26) देखें) प्ररूप सं0
(कार्यालय द्वारा भरी जाए) भारत निर्वाचन आयोग विद्यमान निर्वाचक नामावली/ईपीआईसी प्रतिस्थापन/दिव्यांगजन चिह्नांकित करने संबंधी प्रविष्टियों का सुधार/निवास स्थानांतरण हेतु मतदाता आवेदन प्ररुप सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, सं. और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम सं सं. और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम सं (@केवल उन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जहां विधान सभा नहीं है ) (1) आवेदक का नाम (क)आधार संख्यांक आधार ब्यॉरे : (कृपया समुचित बाक्स पर सही का निशान लगाएं) (क) (ख) मैं आधार संख्यांक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि मेरे पास आधार संख्यांक नहीं है । स्वयं का मोबाइल संख्या (या)
भारत विर्वाचन आयोग विद्यमान निर्वाचक नामावसी/ईपीआईसी प्रतिस्थापन/दिव्यांगजन चिंहनांकित करने संबंधी प्रविष्टियों का सुधार/निवास स्थानांतरण हेतु मतदाता आवेदन प्रस्प सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, सं. और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम सं ग सं. और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम सं (@केवल उन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जहां विधान सभा नहीं है ) (1) आवेदक का नाम (@केवल उन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जहां विधान सभा नहीं है ) (1) आवेदक का नाम आधार ब्यौरे : (कृपया समुचित बाक्स पर सही का निशान लगाएं) (क)आधार संख्यांक (ख) मैं आधार संख्यांक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूं क्याँकि मेरे पास आधार संख्यांक नहीं है । स्वयं का मोबाइल संख्या (या)
विद्यमान निर्वाचक नामावली/ईपीआईसी प्रतिस्थापन/दिव्यांगजन चिह्नांकित करने संबंधी प्रविष्टियों का सुधार/निवास स्थानांतरण हेतु मतदाता आवेदन प्ररुप सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, सं. और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम सं
मतवाता आवेदन प्ररथ सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, सं. और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम सं ग सं. और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम@ सं नाम (@केवल उन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जहां विधान सभा नहीं है ) (1) आवेदक का नाम (1) आवेदक का नाम (1) आवेदक का नाम ईपीआईसी सं आधार ब्यौरे : (कृपया समुचित बाक्स पर सही का निशान लगाएं) (क)आधार संख्यांक (ख) मैं आधार संख्यांक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि मेरे पास आधार संख्यांक नहीं है । स्वयं का मोबाइल संख्या (या)
सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, सं. और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम सं ग ग सं. और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम सं ग (@केवल उन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जहां विधान सभा नहीं है ) (1) आवेदक का नाम ((1) आवेदक का नाम (1) आवेदक का नाम (2) (2) (3) (2) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (6) (6) (7)
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,         सं. और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम         या         सं. और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम@         सं. और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम@         (@केवल उन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जहां विधान सभा नहीं है )         (1) आवेदक का नाम         (1) आधार संख्यांक         (1) आधार संख्यांक         (1) आधार संख्यांक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि मेरे पास आधार संख्यांक नहीं है ।         स्वयं का मोबाइल संख्या (या)
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,         सं. और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम         या         सं. और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम@         सं. और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम@         (@केवल उन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जहां विधान सभा नहीं है )         (1) आवेदक का नाम         (1) आधार संख्यांक         (1) आधार संख्यांक         (1) आधार संख्यांक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि मेरे पास आधार संख्यांक नहीं है ।         स्वयं का मोबाइल संख्या (या)
या       सं. और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम@       सं.       नाम
xi $xi$ $nif$ $xi$ $xi$ $nif$ $(@abaace 3cr xitu xicute xitu xicute xitu xicute xitu xicute xitu xicute xitu xicute xitu xitu xitu xitu xitu xitu xitu xitu$
(@केवल उन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जहां विधान सभा नहीं है )         (I) आवेदक का नाम         (I) आधार संख्यांक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि मेरे पास आधार संख्यांक नहीं है ।         स्वयं का मोबाइल संख्या (या)
(1) आवेदक का नाम
ईपीआईसी सं         आधार ब्यौरे : (कृपया समुचित बाक्स पर सही का निशान लगाएं)         (क)       आधार संख्यांक         (क)       आधार संख्यांक         (क)       आधार संख्यांक         (क)       अधार संख्यांक         (क)       मैं आधार संख्यांक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि मेरे पास आधार संख्यांक नहीं है ।         स्वयं का मोबाइल संख्या (या)       (या)
<ul> <li>आधार ब्यौरे : (कृपया समुचित बाक्स पर सही का निशान लगाएं)</li> <li>(क)आधार संख्यांक</li> <li>(क)</li> <li>आधार संख्यांक</li> <li>(ख) मैं आधार संख्यांक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि मेरे पास आधार संख्यांक नहीं है ।</li> <li>स्वयं का मोबाइल संख्या (या)</li> </ul>
<ul> <li>(क)</li></ul>
या (ख) मैं आधार संख्यांक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि मेरे पास आधार संख्यांक नहीं है । स्वयं का मोबाइल संख्या (या)
या (ख) यैं आधार संख्यांक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि मेरे पास आधार संख्यांक नहीं है । स्वयं का मोबाइल संख्या (या)
स्वयं का मोबाइल संख्या (या)
स्वयं का मोबाइल संख्या (या)
पिता/माता/ किसी अन्य नातेदार का मोबाइल संख्या, (यदि उपलब्ध हो)
स्वयं की ई-मेल आईडी (या)
पिता/माता/किसी अन्य नातेदार का मेल आईडी (यदि उपलब्ध हो)

(II) मैं निम्नलिखित हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूं (निम्नलिखित में से किसी एक पर सही का निशान लगाएं)
1 ि निवास का स्थानांतरण (या)
2 📃 विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार (या)
3
4. 🗍 दिव्यांगजन व्यक्तियों के रुप में चिह्नांकित करने हेतु अनुरोध
1. निवास स्थानांतरित करने हेतु आवेदन :
मैंने निवास स्थानांतरित कर लिया है और मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा नाम पूर्व पते से हटाया जाए और मेरे नीचे उल्लिखित
वर्तमान पते पर स्थानांतरित कर दिया जाए ।
में अनुरोध करता हूं कि, मेरे पते में परिवर्तन के कारण मुझे एक प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी किया जाए । अत:, मैं अपना
पुराना ईपीआईसी वापिस करता हूं ।
वर्तमान मामूली निवास (पूर्ण पता)
भवन/मकान/अपार्टमेंट संख्या
नगर/ग्राम
पिन कोड/जिला
गली/क्षेत्र/स्थान/मोहल्ला/सड़क
डाकघर
तहसील/ताल्लुका/मंडल
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
पते के साक्ष्य की एक स्वत:अनुप्रमाणित प्रति या तो आवेदक के नाम या माता-पिता/पति-पत्नी/वयस्क बालक, में से किसी
एक, यदि वह उसी पते पर निर्वाचक के रुप में पहले से ही नामांकित है (उनमें से कोई एक संलग्न करें)
मुख्य
1 उस पते का (कम से कम एक वर्ष) जल/विद्युत/गैस कनेक्शन बिल
2. आधार कार्ड
3 राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित बैंक/डाकघर की वर्तमान पासबुक
4. भारतीय पासपोर्ट
5 राजस्व विभाग का भूमि स्वामिस्व रिकार्ड जिसमें किसान बही भी है ।
6. रजिस्ट्रीकृत भाड़ा पट्टा विलेख (किराएदार की दशा में)
7. रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में)
कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
(2) विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार करने हेतु आवेदन
कृपया निर्वाचक नामावली/ईपीआईसी में मेरे निम्नलिखित ब्यौरे का सुधार करें ।
(अधिकतम ४ प्रविष्टियों/विशिष्टियों का सुधार किया जा सकता है)
(कृपया नीचे समुचित बाक्स में सही का निशान लगाएं)
दावे के समर्थन में स्वत: अनुप्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य की प्रति संलग्न करें

1नाम	नवीनतम पासपोर्ट आकार का
2लिंग	अहस्ताक्षरित रंगीन फोटो पूरे
3जन्म तारीख/आयु	चेहरे को सामने से उपदर्शित
4नाते का प्रकार	करते ह्ए, श्वेत पृष्ठभूमि
5 नातेदार का नाम	सहित (4.5 सें.मी. X 3.5
6पता	सें.मी.) चिपकाने के लिए
7 मोबाइल संख्या	स्थान, (केवल तभी जब फोटो
8फोटो	परिवर्तित किया जाए)।
उपरोक्त दावे के समर्थन में संलग्न किए गए दस्तावेज का नाम	
मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे वैयक्तिक ब्यौरों में परिवर्तन के कारण मुझे प्रतिस्थापित अतः, मैं अपना पुराना ईपीआईसी वापिस करता हूं।	ईपीआईसी जारी किया जाए ।
3. बिना सुधार किए प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी करने हेतु आवेदन         मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे एक प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी किया जाए क्योंकि मेर         (समुचित बाक्स में सहीं का निशान लगाएं)	
कट-फट गया	
अत:, मैं अपने कटे-फटे/पुराने ईपीआईसी को वापस करता हूं (या) मैंने खोए हुए ईपीआ संलग्न कर दी है और मैं पहले जारी किए गए ईपीआईसी को वापिस करने का वचन पर प्राप्त होता है ।	
संलग्न कर दी है और मैं पहले जारी किए गए ईपीआईसी को वापिस करने का वचन	
संलग्न कर दी है और मैं पहले जारी किए गए ईपीआईसी को वापिस करने का वचन पर प्राप्त होता है । 4. दिव्यांगजन के रुप में चिहनांकित करने हेतु आवेदन दिव्यांगता का प्रवर्ग (दिव्यांगता की प्रवर्ग के लिए समुचित बाक्स में सही का निशान लोकोमोटिव	देता हूं यदि वह मुझे बाद में किसी स्तर
संलग्न कर दी है और मैं पहले जारी किए गए ईपीआईसी को वापिस करने का वचन पर प्राप्त होता है । 4. दिव्यांगजन के रुप में चिहनांकित करने हेतु आवेदन दिव्यांगता का प्रवर्ग (दिव्यांगता की प्रवर्ग के लिए समुचित बाक्स में सही का निशान लोकोमोटिव हुष्टिक	देता हूं यदि वह मुझे बाद में किसी स्तर
संलग्न कर दी है और मैं पहले जारी किए गए ईपीआईसी को वापिस करने का वचन पर प्राप्त होता है । 4. दिव्यांगजन के रुप में चिहनांकित करने हेतु आवेदन दिव्यांगता का प्रवर्ग (दिव्यांगता की प्रवर्ग के लिए समुचित बाक्स में सही का निशान लोकोमोटिव	देता हूं यदि वह मुझे बाद में किसी स्तर
संलग्न कर दी है और मैं पहले जारी किए गए ईपीआईसी को वापिस करने का वचन पर प्राप्त होता है। 4. दिव्यांगजन के रुप में चिहनांकित करने हेतु आवेदन दिव्यांगता का प्रवर्ग (दिव्यांगता की प्रवर्ग के लिए समुचित बाक्स में सही का निशान लोकोमोटिव इष्टिक	देता हूं यदि वह मुझे बाद में किसी स्तर लगाएं)
संलग्न कर दी है और मैं पहले जारी किए गए ईपीआईसी को वापिस करने का वचन पर प्राप्त होता है । 4. दिव्यांगजन के रुप में चिद्टनांकित करने हेतु आवेदन दिव्यांगता का प्रवर्ग (दिव्यांगता की प्रवर्ग के लिए समुचित बाक्स में सही का निशान लोकोमोटिव हृष्टिक मूक-बघिर	देता हूं यदि वह मुझे बाद में किसी स्तर लगाएं)
संलग्न कर दी है और मैं पहले जारी किए गए ईपीआईसी को वापिस करने का वचन पर प्राप्त होता है । 4. दिव्यांगजन के रुप में चिहनांकित करने हेतु आवेदन दिव्यांगता का प्रवर्ग (दिव्यांगता की प्रवर्ग के लिए समुचित बाक्स में सही का निशान लोकोमोटिव हष्टिक यदि कोई अन्य है (वर्णन करें)	देता हूं यदि वह मुझे बाद में किसी स्तर लगाएं)
संलग्न कर दी है और मैं पहले जारी किए गए ईपीआईसी को वापिस करने का वचन पर प्राप्त होता है । 4. दिव्यांगजन के रुप में चिहनांकित करने हेतु आवेदन दिव्यांगता का प्रवर्ग (दिव्यांगता की प्रवर्ग के लिए समुचित बाक्स में सही का निशान लोकोमोटिव हष्टिक मूक-बघिर यदि कोई अन्य है (वर्णन करें) घोषणा:	देता हूं यदि वह मुझे बाद में किसी स्तर लगाएं) जात है कि ऐसा कथन करना या घोषणा
संलग्न कर दी है और मैं पहले जारी किए गए ईपीआईसी को वापिस करने का वचन पर प्राप्त होता है । 4. दिव्यांगजन के रुप में चिहनांकित करने हेतु आवेदन दिव्यांगता का प्रवर्ग (दिव्यांगता की प्रवर्ग के लिए समुचित बाक्स में सही का निशान लोकोमोटिव हष्टिक मूक-बघिर यदि कोई अन्य है (वर्णन करें) घोषणा: मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार कि मुझे	देता हूं यदि वह मुझे बाद में किसी स्तर लगाएं) जात है कि ऐसा कथन करना या घोषणा सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है,लोक
संलग्न कर दी है और मैं पहले जारी किए गए ईपीआईसी को वापिस करने का वचन पर प्राप्त होता है । 4. दिव्यांगजन के रुप में चिहनांकित करने हेतु आवेदन दिव्यांगता का प्रवर्ग (दिव्यांगता की प्रवर्ग के लिए समुचित बाक्स में सही का निशान लोकोमोटिव हष्टिक मूक-बघिर यदि कोई अन्य है (वर्णन करें) धोषणा: मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार कि मुझे करना जो असत्य है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके	देता हूं यदि वह मुझे बाद में किसी स्तर लगाएं) जात है कि ऐसा कथन करना या घोषणा सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है,लोक
संलग्न कर दी है और मैं पहले जारी किए गए ईपीआईसी को वापिस करने का वचन पर प्राप्त होता है । 4. दिव्यांगजन के रुप में चिहनांकित करने हेतु आवेदन दिव्यांगता का प्रवर्ग (दिव्यांगता की प्रवर्ग के लिए समुचित बाक्स में सही का निशान लोकोमोटिव हष्टिक मूक-बधिर यदि कोई अन्य है (वर्णन करें) धोषणा: मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वातम जानकारी और विश्वास के अनुसार कि मुझे करना जो असत्य है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन ऐसे कारावास सकेगी या जुर्माने से, दोनों से, दंडनीय है। स्थान	देता हूं यदि वह मुझे बाद में किसी स्तर लगाएं) जात है कि ऐसा कथन करना या घोषणा सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है,लोक
संलग्न कर दी है और मैं पहले जारी किए गए ईपीआईसी को वापिस करने का वचन पर प्राप्त होता है । 4. दिव्यांगजन के रुप में चिहनांकित करने हेतु आवेदन दिव्यांगता का प्रवर्ग (दिव्यांगता की प्रवर्ग के लिए समुचित बाक्स में सही का निशान लोकोमोटिव हष्टिक मूक-बघिर यदि कोई अन्य है (वर्णन करें) घोषणा: मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार कि मुझे करना जो असत्य है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन ऐसे कारावास सकेगी या जुर्माने से, दोनों से, दंडनीय है।	देता हूं यदि वह मुझे बाद में किसी स्तर लगाएं) जात है कि ऐसा कथन करना या घोषणा सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है,लोक

<u>सुगम्यतात्मक अनुदेश</u> : दिव्यांगजन अधिकार अ	धिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंधों के
आलोक में, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वपरायणता , प्रग	मस्तिष्क घात और बह्दिव्यांगता आदि की दशा में, दिव्यांगजन के हस्ताक्षर
या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या उसके/उसक	की विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर या उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान
अपेक्षित होगा ।	
^प्रमुख दस्तावेज़ की स्वप्रमाणित प्रति का प्रस्तुत वि	केया जाना सेवाओं के त्वरित परिदान को सुनिश्चित करेगा।
-	-
	अभिस्वीकृति/रसीद
अभिस्वीकृति सं	
-	
श्री/श्रीमती/सुश्री	का प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त ह्आ है
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	5
	ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर

### आवेदन को भरने के लिए दिशानिर्देश प्ररुप-8

### 1. सामान्य अनुदेश :-

- (क) निवास स्थान बदलने के लिए, या प्रविष्टियों में सुधार के लिए या प्रतिस्थापित ईपीआईसी को जारी करने के लिए या पीडब्लूडी के रुप में चिन्हित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत/अभ्यावेशित निर्वाचक द्वारा आवेदन किया जा सकता है ।
- (ख) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर (ईआरओ) द्वारा आवास बदलने, प्रविष्टियों के सुधार करने और बिना संशोधन किए प्रतिस्थापित ईपीआईसी को जारी करने के लिए आवेदन की मंजूरी के मामले में आवेदक को एक नया प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी किया जाएगा और उसे अपने पुराने ईपीआईसी को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को तत्काल वापस करना होगा।

 मद सं.1 (आवेदक का नाम)- आवेदक अपना नाम, ईपीआईसी सं., आधार संख्या, मोबाइल नंबर और स्वयं या इसमें उल्लिखित संबंधी की ई-मेल आईडी वर्णित करेगा। प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या देनी चाहिए । यदि आवेदक के पास आधार संख्या नही है तो उसका उल्लेख मद 1(ख) के बाक्स में किया जा सकता है ।

3. **मद सं. 2 (आवेदन के लिए विकल्प)**-आवेदक, आवेदन के किसी एक विकल्प पर टिक करेगा और आवेदन के सुसंगत खंड में ब्यौरों को भरेगा । अन्य सभी खंड, जो सुसंगत नहीं है उन्हे काट दिया जाना चाहिए ।

4. निवास स्थान बदलने के लिए आवेदन (क) आवेदन उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को करना होगा जिसमें आवेदक का नया पता स्थित है। (ख) आवेदक को अपने नए पते का उल्लेख करना होगा, जहां वह स्थानांतरित हो गया है और वर्तमान में रह रहा है और अपने स्वयं के नाम पर या अपने माता-पिता/पति-पत्नी के नाम पर पते के प्रमाण के रुप में किसी एक मूल दस्तावेज की एक स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा। वह मूल दस्तावेज पर टिक करेगा जो उसने पते के प्रमाण के रुप में किसी एक मूल दस्तावेज सेवाओं का त्वरित परिदान सुनिश्चित करेगा। यदि उसके पास कोई मूल दस्तावेज नहीं है, तो उसे रिक्त स्थान में पते के प्रमाण के हप में किसी एक मूल दस्तावेज दिए गए अन्य दस्तावेज के नाम का उल्लेख करना होगा।

5. **विद्यमान नामावली की प्रविष्टियों में सुधार के लिए आवेदन** (क) यदि कोई आवेदक निर्वाचक नामावली में उससे संबंधित किसी मौजूदा प्रविष्टि को सही करना चाहता है तो उसे उपयुक्त बाक्स में टिक करना होगा और अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज संलग्न करना होगा । दिए गए खाली स्थान में दस्तावेज का नाम अवश्य उल्लिखित करना चाहिए ।

(ख) यदि आवेदक अपनी फोटो बदलना चाहता है, तो हाल का एक अच्छी गुणवत्ता वाला पासपोर्ट आकार (4.5 से.मी. X 3.5 से.मी) का अहस्ताक्षरित रंगीन फोटो सफेद पृष्टभूमि के साथ इसके लिए बने बाक्स में चिपकाना होगा ।

6. **बिना सुधार के ईपीआईसी को प्रतिस्थापित करने के लिए आवेदन** - ईपीआईसी को प्रत्स्थापित करने के लिए आवेदक को उपयुक्त बाक्स में एक टिक लगाना होगा । वह अपने विकृत/पुराने ईपीआईसी को वापस करेगा या खोए हुए ईपीआईसी के लिए एफआईआर की कापी प्रस्तुत करेगा ।

**घोषणा** – आवेदक को घोषणा करना होगी कि आवेदन में उल्लिखित तथ्य और विवरण मेरे/मेरी सर्वेत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सहीं हैं ।

कृपया ध्यान दें कि घोषणात्मक भाग में कोई गलत कथन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दंडनीय अपराध होगा जिसके लिए एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा । 13. उक्त नियमों के प्ररुप 8क और 8ख का लोप किया जाएगा

14. उक्त नियमों के प्ररुप 11 और 11क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुपों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

### "प्रारुप 11

[नियम 15 और 16 देखें]

## आक्षेपों की सूची /प्रविष्टियों के सुधार के लिए आवेदन/इपिक का प्रतिस्थापन/प्ररुप 8 में स्वीकार्य पीडब्ल्यूडी का बनाना

अभिहित किए की पहचान (ज		निर्वाचन क्षेत्र (स	ाभा∕संसदीय <sup>£</sup> निर्वाचन क्षेत्र) पु			नरीक्षण पहचान		
प्राप्त किए गए है	<del>;</del> )							
1. सूची संर	ज्या <sup>@</sup>	2. आवेदनों की प्र	ाप्ति की अवधि (	(इस सूची में	तारीख से तारीख तक			
			अंतर्निहित)	-	//			/
3. सुनवाई का स्था	न*			<b>I</b>			1	
आवेदन की क्रम	प्राप्ति की	विरोध करने	विरोध	करने का कारण	/आवेदन	सुनव	ग्नई की	सुनवाई का
संख्या <sup>\$</sup>	तारीख	वाले /आवेदन				ता	रीख*	समय*
		करने वाले	क्या	क्या ईपी	क्या			
		निर्वाचक का	प्रविष्टियों में	आईसी का	पीडब्ल्यूडी			
		नाम	सुधार किया	प्रतिस्थापन	चिन्हित किए			
			ँगया है	किया गया है	गए हैं या			
			(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	नहीं			
1	2	3	4	5	6	7	(क)	7(ख)
£ संघ राज्यक्षेत्र ब	ति दशा में उ	नेसमें कोई विधान	नियम 15 (ख)	के अधीन अभि	ोहित स्थान पर	नियग	म 16(ख	) के अधीन
सभा नहीं है ।			प्रदर्शन की तारी	ख		निर्वा	चन	रजिस्ट्रीकरण
@ इस अभिहित र	-थान के लिए	इस पुनरीक्षण के				अधि	कारियों	के कार्यालय
लिए						पर प्र	ग्दर्शन की	ो तारीख
*निर्वाचक रजिस्ट्रे								
नियत की गई स्	नुनवाई का स	थान, समय और						
तारीख		_ ·						
		के लिए प्रत्येक						
पुनरीक्षण को बन	ाए रखने के	लिए रनिंग क्रम						
संख्या								

## **प्ररुप 11क** [नियम 15 और 16 देखें]

# प्ररुप 8 में प्राप्त किए गए निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पता बदलने के लिए आवेदनों की सूची

अभिहित किए	गए स्थान	निर्वाचन क्षेत्र (र	तभा/संस	दीय <sup>£</sup> निर्वाचन क्षेत्र)		<u>प</u> ्नरीक्षण	पहचान
की पहचान (ज	हां आवेदन					5	
प्राप्त किया गया	है)						
1. सूची संर	1. सूची संख्या <sup>®</sup> 2. आवेदनों के प्राप्ति की				तारी	ख से	तारीख तक
			अंतर्निहि	इत)	/	/	/
3. सुनवाई का स्था		I		Γ			
आवेदन की क्रम	प्राप्ति की	विरोध करने	वाले/	नया पता (सामान्य f	नेवास का	सुनवाई	की तारीख/ समय
संख्या <sup>\$</sup>	तारीख	आवेदन करने	वाले	वर्तमान पता	)		
		निर्वाचक का नाम					
1	2	3		4			5
1	2	5		т Т			5
	× × ~	<u> </u>	~ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		<u>}</u>		
	ा दशा म ाज	समें कोई विधान स	भा नहा				6(ख) के अधीन
है।	\ <b>`</b>			अभिहित स्थान पर	प्रदर्शन की		जिस्ट्रीकरण आफिसर
		इस पुनरीक्षण के ति		तारीख			ाय पर प्रदर्शन की
		ार द्वारा यथा नि	यत की			तारीख	
गई सुनवाई का स्थ							
\$ प्रत्येक अभिहित	न स्थान के '	लिए प्रत्येक पुनरी	क्षण को				
बनाए रखने के लि	ए रनिंग क्रम	संख्या					

# प्ररुप 11ख

# [नियम 15 और 16 देखें]

# प्ररुप 8 में प्राप्त किए गए निर्वाचन क्षेत्र के बाहर पता बदलने के लिए आवेदनों की सूची

अभिहित किया	गमा म्थान	निर्वाचन	न भोग (ा		नदीय <sup>£</sup> निर्वाचन क्षेत्र)		ਸ਼ਤੀਆ	ग पहचान
		ាជាជាជា	י גוא ( <del>ג</del>	זסוו/גוג	IGIA 1011100 (17)		ननराया उ	ที่ ฯธุนเต
की पहचान (ज								
प्राप्त किए गए हैं)								
1. सूची संर	ज्या <sup>®</sup>	ाप्ति की	ा अवधि (इस सूची में	तार्	रीख से	तारीख तक		
				अंतर्नि	हेत)	•••••	//	//
3. सुनवाई का स्था	न*							
आवेदन की क्रम	प्राप्ति की	विरोध	करने	वाले/	नया पता (सामान्य नि	वास का	सुनवाई	की तारीख/समय*
संख्या <sup>\$</sup>	तारीख	आवेदन	करने	वाले	वर्तमान पता)		-	
		निर्वाचक	का नाम					
1	2		3		4			5
£ संघ राज्य क्षेत्र	की दशा में	निगमें से	र्भ निधान		निमम 15/1) (म) <del>हे</del>	्राक्षीय	नियम 🛛	6(ख) के अधीन
	୩୦୦ କା	া এখন কা	ទេ ជេដាត	समा				
नहीं है।	\ <b>`</b>				अभिहित स्थान पर प्रद	খাল কা		जिस्ट्रीकरण आफिसर
@ इस अभिहित स्थान के लिए इस पुनरीक्षण के लिए				तारीख			ाय पर प्रदर्शन की	
*निर्वाचक रजिस्ट्री	करण ऑफिस	र द्वारा र	यथा निय	त की			तारीख	
गई सुनवाई का स्थ	थान, समय अं	रि तारीख						
\$ प्रत्येक अभिहित	न स्थान के '	लिए प्रत्येक	न पुनरीक्ष	ण को				
बनाए रखने के लि			5					

15. उक्त नियमों के प्ररुप 18 और 19 के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्ररुप रखे जाएंगे :-

"प्ररुप-18 (नियम 31देखें) भारत निर्वाचन आयोग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली में नाम के सम	ावेश के लिए दावा <i>सफेद पृष्ठभूमि के साथ</i>
सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, (स्नातक) निर्वाचन क्षेत्र.	सफद पृष्ठमूगम क साथ पासपोर्ट आकार (4.5 सेमी. x3.5 सेमी) का रंगीन अहस्ताक्षरित, हाल ही के फोटो के लिए स्थान जिसमें पूरे चेहरे के सामने का भाग दिख रहा हो
श्रीमान, मैं प्रार्थना करता/करती हूं कि मेरा नाम (स्नातक) निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्त	ट्रीकृत किया जाए ।
1. विशिष्टियां:- पूरा नाम	लिंग
पिता/माता/पति का (पूरा नाम)	
अर्हता व्यवसाय	
घर का पता (सामान्य निवास का स्थान)	
मकान/भवन/अपार्टमेंट नं. गली/मौहल्ला	
शहर/गांव पोस्ट आफिस	
पुलिस स्टेशन/तहसील/तालुक/मौजा जिला राज्य	
आयु वर्ष महीना जन्म की त	रिखि ता ता म म व व व व
अक्षमता(यदि कोई हो):- (उचित बाक्स में टिक करें) (वैकल्पिक ) ि दृष्टि क्षीणता वाणी और श्रवण अक्षमता	चलन अक्षमता अन्य
मा कसी सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक के रुप में रजिस्ट्रीकृत हैं	
यदि हां तो निम्नलिखित विवरण दें	
(a) सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	
<sup>(b)</sup> भाग/मतदान केन्द्र सं. (यदि ज्ञात है)	
(c) जन्म की तारीख ता ता / म म / व व व व	
<sup>(d)</sup> ईपीआसी संख्या (यदि कोई है)	
आधार विवरण:- (कृपया उचित) बाक्स में टिक करें)	
(क) आधार संख्या	or
(ख) मैं आधार संख्या देने में अक्षम हूं क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है	
संपर्क संख्याः-	_
मोबाइल नं. (वैकल्पिक)	
लैंडलाइन	
ई-मेल आईडी (यदि कोई हो)	

0	Λ
_	4

है।

2.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

\*मैंने.....में डिग्री /डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की स्नातक हूं और सन .....में डिग्री /डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की है।

या

\*मैं .....डिप्लोमा/प्रमाणपत्र रखता हूं जिसकी अर्हता स्नातक के समकक्ष है और वर्ष .....डिप्लोमा/प्रमाणपत्र के लिए भारत में विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण की है।

 रन्नातक होने/उपरोक्त डिप्लोमा/प्रमाणपत्र धारण करने के समर्थन में, मैं इसके साथ\_\_\_\_\_\_ प्रस्तुत करता/करती हूँ
 \*\*इस या किसी अन्य स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया

या

\*\*नीचे दिए गए पते पर.....स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित किया गया है, और मैं निवेदन करता/करती हूं कि वह उस नामावली से हटा दिया जाए

5. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैं भारत का/की नागरिक हूं और ऊपर दी गई सब विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अन्सार सत्य हैं

स्थान \_\_\_\_\_ तारीख \_\_\_\_\_

दावेदार के हस्ताक्षर

टिप्पण : जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 31 के अधीन दंडनीय है

\*जो पैरा लागू न हो उसे काट दीजिए \*\*जो शब्द सम्चित न हों उन्हें काट दीजिए

.....(छिद्रण).....

की गई कार्रवाई की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी......का/की निवासी है, के प्ररूप 18 में आवेदन को,

(क) स्वीकार कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कुमारी ..... के नाम को भाग सं0 .....में क्रम सं0.....पर रजिस्टर कर दिया गया है

(ख) निम्नलिखित कारण से अस्वीकार कर दिया गया है .....हे .....

तारीख

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

(पता)\_\_\_\_\_

.....छिद्रण.....

### आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी \*.....जो \*.....जो \*.....जो का/की निवासी है, से प्ररूप 18 में आवेदन प्राप्त हुआ

तारीख\_\_\_\_\_

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

(पता)\_\_\_\_\_

\*आवेदक द्वारा भरा जाए

### प्ररूप-19

### (नियम 31 देखें)

# भारत निर्वाचन आयोग

## शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने का दावा

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, \_\_\_\_\_(शिक्षक) निर्वाचन क्षेत्र। चिपकाने के लिए हाल ही में अहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का, रंगीन फोटोग्राफ (4.5 सेमी 'X 3.5 सेमी) सफेद पार्श्वभूमि के साथ पूर्ण चेहरे का सामने का दृश्य दिख रहा हो

महोदय,

में निवेदन करता/करती हूं कि\_\_\_\_\_(शिक्षक) निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाए।

विवरण हैं:-

पूरा नाम लग	पूरा नाम												लिंग
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

पिता/माता/पति का नाम (पूर्ण रूप से)						
घर का पता (साधारण निवास स्थान)						
मकान/भवन/अपार्टमेंट संख्या	ग	ली/मो	हल्ला			

नगर/ग्राम	डाकघर
पुलिस स्टेशन/तहसील/तालुका/मौजा	
जिला	राज्य

आयु		वर्ष		माह		जन्म तारीख							
-----	--	------	--	-----	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

## अक्षमता (यदि कोई हो):- (उपयुक्त बॉक्स पर निशान लगाएं) (वैकल्पिक क्षेत्र)

दृष्टि क्षीणता	वाक् और श्रवण	चलन अक्षमता	अन्य
	अक्षमता		

क्या किसी विधान सभा क्षेत्र के लिए निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है	
यदि हाँ, तो निम्नलिखित का वर्णन करें	
(क) सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	
(ख) भाग / मतदान केंद्र संख्या (यदि ज्ञात हो)	
(ग) जन्म तारीख	
(घ) ईपीआईसी नंबर (यदि कोई हो)	
आधार विवरण:- (कृपया उपयुक्त बॉक्स में टिक करें)	
(क) आधार संख्या	
या	
(ख) मैं अपना आधार नंबर प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है	
संपर्क संख्या	
मोबाईल संख्या (वैकल्पिक)	
लैंड लाइन	
ई-मेल आईडी (यदि कोई हो)	
2. पिछले छह वर्षों के दौरान, में तीन वर्षों से अधिक की कुल समयावधि के लिए शिक्षा कार्य में संलग्न हूं-	
शिक्षण संस्था का नाम (तारीख) से (तारीख) तक अवधि	
1.	
2.	
3.	
4.	
उपरोक्त के समर्थन में, मैं इसके साथ प्रस्तुत करता/करती हूं	

3 \*इस या किसी अन्य शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है

या

\*नीचे दिए गए पते पर......शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित किया गया है, और मैं निवेदन करता/करती हूं कि वह उस नामावली से हटा दिया जाए:--

 मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैं भारत का/की नागरिक हूं और ऊपर दी गई सब विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं

स्थान \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

26

दावेदार के हस्ताक्षर

टिप्पण : जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या
विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के
अधीन दंडनीय है
*जो पैरा लागू न हो उसे काट दीजिए
छिद्रण
की गई कार्रवाई की सूचना
श्री/श्रीमती/कुमारी 19 में आवेदन को,
(क) स्वीकार कर लिया गया है और भाग सं0 में क्रम सं0पर रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(ख) निम्नलिखित कारणों से अस्वीकार कर दिया गया
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर
(पता)]
तारीख
छिद्रण
आवेदन की रसीद
श्री/श्रीमती/कुमारीजो का/की निवासी है, से प्ररूप 18 में आवेदन प्राप्त हुआ
तारीख
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर
(पता)
*आवेदक द्वारा भरा जाए
יסוואלדי לאולו אלו סוג

[फा. सं. एच-11019/4/2019-विधा.II]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में, अधिसूचना संख्या का.आ. 2750(अ), तारीख 10 नवंबर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और नियमों का अंतिम संशोधन का.आ. 2968(अ), तारीख 16 सितम्बर, 2016 द्वारा किया गया था।

### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

#### (Legislative Department)

### NOTIFICATION

#### New Delhi, the 17th June, 2022

**S.O. 2802(E).**—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Central Government, after consulting the Election Commission of India, hereby makes the following rules further to amend the Registration of Electors Rules, 1960, namely:—

1.(1) These rules may be called the Registration of Electors (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the 1st day of August, 2022.

**2.** In the Registration of Electors Rules, 1960 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 5, in sub-rules (2) and (3), for the words "his wife" at both the places where they occur, the words "his or her spouse" shall be substituted.

3. For rule 13 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

**"13. Form for claims and objections.**— (1) Every claim for inclusion of name in the roll as new elector shall be in Form 6 and signed by the applicant.

(2) Every objection to the proposed inclusion of name or application for deletion of name in existing roll shall be in Form 7 and preferred by a person whose name is in such roll.

(3) Every objection to a particular or particulars in any entry in the roll or application for shifting of residence within the constituency or outside the constituency or application for correction or updation of entries shall be in Form 8 and shall be preferred by the person to whom that entry relates.".

4. In rule 14 of the said rules,—

(i) in the opening portion, for the words, "for correction of particulars or transposition of entries", the words "for correction of entries in existing electoral roll or application for shifting of residence within the constituency or outside the constituency" shall be substituted;

(ii) in clause (a), after the words "the registration officer", the words, "of the constituency in which the applicant is ordinarily residing" shall be inserted.

5. In rule 15 of the said rules,—

(i) in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) maintain in duplicate a list of claims in Form 9, a list of objections to the inclusion of names in Form 10, a list of objections to entries in the existing electoral roll or application for corrections or updation of entries in Form 11 and a list of applications for shifting of residence within the constituency in Form 11A and a list of application for shifting of residence outside the constituency in Form 11B; and";

(ii) in sub-rule (2), for the words "particulars or transposition of entries", the words "entries in existing electoral roll or application for correction or updation of entries or application for shifting of residence within the constituency or outside the constituency" shall be substituted.

6. In rules 16 of the said rules, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) maintain in duplicate the five lists in Forms 9, 10, 11, 11A and 11B, entering thereon the particulars of every claim or objection or application for correction of entries in existing electoral roll or application for correction or updation of entries or application for shifting of residence within the constituency or outside the constituency as and when it is received by him whether directly under rule 14 or on being forwarded under rule 15; and".

7. In rule 26 of the said rules,—

(i) in sub-rule (1), for the figures, letters and word "6, 6A, 7, 8, 8A and 8B", the figures, letter and word "6, 6A, 7 and 8" shall be substituted;

(ii) for sub-rule (1A), the following sub-rule shall be substituted, namely:----

"(1A) Every such application as is referred to in sub-rule (1), with reference to qualifying dates, that is to say the 1st day of January, the 1st day of April, the 1st day of July and the 1st day of October of the year, shall be presented to the registration officer in such manner as the Election Commission may direct.".

8. After rule 26 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely:—

**"26A. Merger and integration of list of amendments.**— The list of amendments prepared with reference to the qualifying dates as specified in sub-rule (1A), shall be merged and integrated with the last finally published roll and published as draft roll under rule 10, before every election and bye-election and shall be put in public domain with reference to the qualifying date, proximate to the said election, as the Election Commission may direct.

**26B.** Special provision for providing Aadhaar number by existing electors.— Every person whose name is listed in the roll may intimate his Aadhaar number to the registration officer in Form 6B in accordance with sub-section (5) of section 23 of the Act.".

**9.** For Forms 1, 2, 2A and 3 to the said rules, the following Forms shall, respectively, be substituted, namely:—

"Form-	1							
(See rule 7) The Registration of Electors Rules, 1960 Statement as to place of Ordinary Residence by a Person holding a Declared Office WITH WHITE BACKGROUND								
Full Name	nal Details							
Relation Name								
Relation Type Father Mother	Husband Wife Others							
Age Years Month Da	te of Birth d d / m m / y y y y							
Gender Male Female								
Office held								
EPIC No. (If issued)								
Aadhaar Details:- (Please tick the appproriate box)								
(a) AadhaarNumber	or							
(b) I am not able to furnish my Aadhaar Numb	er because I don't have Aadhaar Number							
Mobile No. (optional)								
Email Id (optional)								
I hereby declare that I am a citizen of India and that bu	t for my holding the above-mentioned office. I would							
have been ordinarily resident at:-	tion my notating the above-mentioned office, I would							
House/Building/Apartment No. Locality	Street/Mohalla Town/Village							
Post Office	Police Station							
Tehsil/Taluqa/Mandal	PIN Code							
District	State/UT							
Assembly Constituency								
	10							
I further declare that my spouse (Husband/Wife) Shri Age Years Months Da								
ordinarily resides with me and is a citizen of India.	te of Birth d d / m m / y y y							
	ther got *ourselves/myself already registered nor have							
	ne electoral roll of the place where I am presently posted							
and residing or any other constituency.								
	its getting registered as an elector at more than one place							
	uencies and if my name *or my spouse's name so appears							
at different places, the same may be deleted from a place for which I have made the statement.	Il such places except from the electoral roll of my native							
Date:								
(For use in the l	(Signature)							
Statement received on the	20							
Registered in the electoral roll for the	Restriction of the second							
	Assembly Constituency							
Date: Ele	ectoral Registration Officer							
* Strike off if not applicable	<i>4</i>							

Form-							
(See rule	SPACE FOR PASTING ONE RECENT						
PHOTOGRAPH (4.5 CM X 3.5 CM)							
Statement as to place of Ordinary Resi	idence by member of the Armed Forces						
	nal Details						
Full Name							
Relation Name							
Relation Type Father Mother	Husband Wife Other						
Age Years Month Da	ate of Birth d d / m m / y y y						
Gender Male Female							
EPIC No. (If issued)	20 S						
Aadhaar Details:- (Please tick the appproriate box)							
(a) AadhaarNumber	or						
(b) I am not able to furnish my Aadhaar Numb	er because I don't have Aadhaar Number						
Mobile No. (optional)							
Email Id (optional)							
I hereby declare that I am a citizen of India and that but	t for my service in Armed Forces I would have been						
ordinarily resident at:-							
House/Building/Apartment No.	Street/Mohalla						
Locality	Town/Village						
Post Office	Police Station						
Tehsil/Taluqa/Mandal District	PIN Code						
Assembly Constituency	State/UT						
Servi	ce Details						
Service /Buckle No.							
Rank							
Name of Armed Force							
Service/Corps/Regiment							
Name and Address of Record Office							
I further declare that my spouse (Husband/Wife) Shri./							
Age <u>Years</u> Months Da ordinarily resides with me and is a citizen of India.	d d / m m / y y y						
registration as ordinary electors in the general part of th	*ourselves/myself already registered nor have applied for such e electoral roll of the place where I am presently posted and						
residing or any other constituency.	a second contract and place where r and presently posted and						
I also declare that I am aware of the law that prohibits get	ting registered as an elector at more than one place either in the						
same constituency or in different constituencies and if my	name *or my spouse's name so appears at different places, the						
made the statement.	last part of the electoral roll of my native place for which I have						
Date:							
	(Signature)						
Record Office/Commandant's Office	Verified and found Correct						
Folio No.	(Signature)						
Place	(Designation)						
Date	Officer-in-Charge, Records.						
(For use in th	ne Election Office)						
Statement received on the	20						
Registered in the electoral roll for the No. Service Voter's Part.	Assembly Constituency						
No Service Voter's Part,	at 5.190.						
Date:	Electoral Registration Officer						

				1.4						.11						
				n- 2A rule 7)												
		The Rea			tors D	ular	1000	2					SPACE F	OR PAST	NG ONE I	RECENT
Statement as to plac	Statement as to place of Ordinan Peridene human but to file to place of Ordinan Peridene human but to place of Ordinan Berger															
otatement us to prac		, who is ser					nea j	DOIIC	e jor	ce o	of a				AL VIEW C BACKGRC	
A CONTRACTOR OF		NAMES OF STREET, STREE	_								and the					
Full Name			Pe	rsonal	Details	1				1			ГТ			
Relation Name							 			_					<u> </u>	1
						_	-									]
Relation Type	Father		ther	Hu	sband			Jw	ife	l		Oth	iers			
Age	Years	Mo	nth	Date of	f Birth		d	d	/ 1	n	m	1	у у	У	У	
Gender	Male	Fen	nale													
EPIC No. (If issued)																
Aadhaar Details:- (Please tick	the apppro	riate box)														
(a) 🗌 Aadhaar Numl											or					
(b) I am not able t	o furnish	my Aadhaai	r Numbe	er becau	se I do	n't ha	ave A	adh	aar N	um	ber					
Mobile No. (optional)			1		]											
Email Id (optional)																
I hereby declare that I am a	citizen of	India and th	at but fo	or my se	rvice o	utsid	e the	sta	te in a	arm	ed r	oolio	e for	es m	entio	ned
below, I would have been or	dinarily re	esident at:-		-								5.00	21010		5.110	u
House/Building/Apartme	ent No.			Str	eet/M	ohalla	9					-				
Locality			1		vn/Villa	_										
Post Office					ice Stat	-										
Tehsil/Taluqa				Pin	Code											
District				Sta	te/UT											
Assembly Constituency																
Service /Buckle No.			Se	rvice D	<u>etails</u>			and a second								
Rank									-							
Name of Armed police Force														10		
Name and Address of office																2
I further declare that my spo	use (Husb	and/Wife) S	Shri./Sm	t												
Age Years ordinarily resides with me an		Months en of India.		Date of	Birth		d	d	/ n	n r	m	/	у у	Y	У	
I, further, declare that I *a	nd my sp	ouse have r	neither g	zot *ou	selves	/mvse	elf al	read	lv ree	viste	ered	no	r have	200	lied f	or such
registration as ordinary elect any other constituency.	ors in the	e general pa	rt of ele	ectoral r	oll of th	ne pla	ace v	vher	e I ar	n pr	rese	ntly	poste	ed an	d resi	ding o
I also declare that I am awa	are of the	law that pr	ohibits p	getting r	egister	ed as	ane	elect	or at	mo	ore t	han	oner	lace	eithe	r in the
same constituency or in diffi same may be deleted from a	erent con	stituencies	and if m	ny name	e *or m	y spe	ouse	's na	me s	o a	ppe	ars	at dif	feren	t nlac	es the
made the statement.																
Date:											-					
C										Sign	natu	re)				
Commandant's Office Folio No.					ified an		und (	Corre	ect							
lace (Designation)																
Date					nmanda	1000										
		/r	orusa				.1	1200			1					
Statement		(F	or use ir	i the El	ection (	JULICE	:)									
Statement received on the Registered in the electoral ro	ll for the	-		-		- 11										
Registered in the electoral ro No.	n for the	Service	oter's D	art at 0	No	1				A	Asse	mbl	y Con	stitue	ncy	
		Service V	oter s P	arı, at S	.110.											
Date:				Ele	torals	orist	int'		<b>6</b> 1							
				Elec	toral R	egisti	atio	n Ol	ricer	-						
* Strike off if not applicable																

(See										
<u>P</u>	Personal Details									
Full Name										
Relation Name										
Relation Type Father Mother	Husband Wife Other									
Age Years Month	Date of Birth									
EPIC No. (If issued)										
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)										
(a) Aadhaar Number	or									
(b) I am not able to furnish my Aadhaar Numb	ber because I don't have Aadhaar Number									
Mobile No. (optional)										
Email Id (optional)										
hereby declare that I am a citizen of India and that but f	for my being employed under Government of India in the below-									
mentioned post, I would have been ordinarily resident at	it (full postal address):-									
House/Building/Apartment No.	Street/Mohalla									
Locality	Town/Village									
Post Office	Police Station									
Tehsil/Taluqa/Mandal	PIN Code									
District Assembly Constituency	State/UT									
registration as ordinary electors in the general part of e or any other constituency. I also declare that I am aware of the law that prohibi he same constituency or in different constituencies and	Date of Birth d d / m m / y y y y got *ourselves/myself already registered nor have applied for s electoral roll of the place where I am presently posted and resid its getting registered as an elector at more than one place eithe d if my name *or my spouse's name so appears at different pla rom the last part of the electoral roll of my native place for whin (Signature)									
	Verified and found Correct									
(Signature)										
	on of the Head of Office)									
	in the Election Office)									
itatement received on the	20									
Registered in the electoral roll for the Service Voter's	Constituency									
lo Service Voter'sService Voter'service Voter'service	Electoral Registration Officer									

# 10. For Form 6 to the said rules, the following Form shall be substituted, namely:—

		[See r ELECTION C Application		FORM 'To be j	No filled by office)			
No. & Name Or No. & Name <i>(@ only for U</i> . I submit app	Il Registration Officer, of Assembly Constituency of Parliamentary Constituen <i>nion Territories not having Legis</i> lication for inclusion of my n	slative Assemb		N	lame lame			
(1)(a) Name (in (	Official Language of State)							
First Name follow	wed by Middle Name							SPACE FOR PASTING ONE RECENT UNSIGNED PASSPORT SIZE COLOR
Surname (if any)								PHOTOGRAPH (4.5 CM X 3.5 CM) SHOWING
(1)(b) Name (In I	English in BLOCK LETTERS)							FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITH WHITE BACKGROUND
First Name follo	wed by Middle Name							
Surname (if any)								
	me not filled in English, it wil							
Father		Or 🗌 H	lusband	Or	atives:-	ife (	Dr	
Legal G	Suardian in case of orphan/G	uru in case of	Third Ge	nder				······································
*(2)(b) Name an	d Surname (In English in BLO	CK LETTERS)	of the rel	ative men	tioned a	bove		
Of relative ment (4) Email ID of S	ioned at Item No. 2	(or) (or)						
	ails:- (Please tick the appropriate box)	- I I I				· · · · · ·		
	dhaar Number	haar Number	because	I don't ha	ve Aadh	i   aar Nun	or 1ber.	
	Male	Fema		Thi				
(6) Gender						-1		
(7) (a)Date of Bi (b) Self attested	rth <u>d</u> d <u>/</u> copy of document supportin	mm/	<u>γ</u> γ γ	I Y I Y I anyone of	the follo	owing)		
(i) Document for	<u>• Proof of Date of Birth</u> ^:- (Ai	ny one of thes	se)					
1. Bir	th certificate issued by Comp	etent Local B	lody/Mur	icipal Aut		7		Deaths
	dhaar Card 3			1 64-4	4.	-	g License	
	rtificates of Class X or Class X ucation Boards, if it contains		B2F/IC2E	state	6.	j indian	Passport	
	ocument for Proof of Date of		e of the a	bove doci	uments i	s availa	b <i>le)</i> (Pl. Spe	ecify)
(8) (a) Present	House/Building/Apartment						Iohalla/Roa	
Ordinary					<u>~</u>			
Residence	Town/Village			Post Of				
(Full Address)	PIN Code				Faluqa/N	/landal		
	District			State/U	T			

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

(b) Self-attested copy of address proof either in the name of applicant or any one of parents/spouse/adult child, if already enrolled as elector at the same address (Attach anyone of them)         (i) Document for proof of residence ^:-       (Any one of these)         1.       Water/Electricity/Gas connection Bill for that address (atleast 1 year)       2.       Aadhaar Card         3.       Current passbook of Nationalized/Scheduled Bank/Post Office       4.       Indian Passport         5.       Revenue Department's Land Owning records including Kisan Bahi       6.       Registered Rent Lease Deed (In case of tenant)       7.       Registered Sale Deed (In case of own house)         (ii) Any Other document for Proof of residence: -       (If none of the above documents is available) (PI. Specify) #       9) Category of disability, if any(Optional)       Locomotive       Visual       Deaf & Dumb         If any other (Give description)       %, Certificate attached (Tick the appropriate box)       Yes       No
(10) The details of my family member already included in the electoral roll at current address with whom I currently reside are
as under:
Name of family member: Relationship with applicant
His/her EPIC no.:
DECLARATION
I HEREBY DECLARE that to the best of my knowledge and belief-
(i) I am a citizen of India and place of my birth is:- Village/Town
District State/UT
(ii) I am ordinarily a resident at the address mentioned at Sr. No. 8(a) in Form 6 since (mention month
and year)
(iii) I am applying for inclusion in Electoral Roll for the first time and my name is not included in any Assembly Constituency/ Parliamentary Constituency.
(iv) I don't possess any of the documents mentioned at (7)(b)(i) above for proof of Date of Birth/Age. Therefore, I have
enclosed (Name of the document) in support of age proof (Strike off, if not applicable).
<ul> <li>(v) I am aware that making the above statement or declaration in relation to this application which is false and which I know or believe to be false or do not believe to be true, is punishable under Section 31 of Representation of the People Act, 1950</li> <li>(43 of 1950) with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.</li> <li>Date:</li> </ul>
Place: Signature of Applicant/Left Hand Thumb Impression
Accessibility Instructions:-In the light of provisions of Rights of Persons with Disabilities Act 2016 and Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in case of persons with intellectual disability, autism, cerebral palsy and multiple disabilities etc., signature or left hand thumb impression of person with disability, or signature or left hand thumb impression of his/her legal guardian will be required.
Note-
* In case of a married female applicant, name of Husband may preferably be mentioned.
Submission of self-attested copy of mentioned document will ensure speedy delivery of services.
# In case none of the mentioned documents is available, field verification is must. As for example, category like homeless
Indian citizens who are otherwise eligible to become electors but do not possess any documentary proof of ordinary residence, Electoral Registration Officer shall designate an officer for field verification.
Acknowledgement/Receipt for application         ×
A hand some how have
Acknowledgment Number Date
Received the application in Form 6 of Shri/Smt./Ms
Abbit can teter the Acknowledgement no. to check the status of application.]
Name/Signature of ERO/AERO/BLO

To be appended to Form-6

(The fields marked with \* are mandatory)

### GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM-6

#### 1. General Instructions:-

(a) The application will be addressed to the Electoral Registration Officer (ERO) of the Assembly Constituency (AC)/Parliamentary Constituency (PC) in which the applicant is ordinarily residing. In case the applicant does not know or has any doubt about number and name of Assembly Constituency / Parliamentary Constituency, assistance may be extended by the Electoral Registration Officer and the application will not be rejected on the ground of not mentioning of number and name of Assembly Constituency / Parliamentary Constituency.

(b) The applicant can fill entries of the application either in English or official language of the state and this will not be a ground for rejection of application.

(c) A service personnel, applying for enrolment as general elector in the electoral roll at his place of posting at a peace station, should ensure that he is not already enrolled as service elector or general elector in some other constituency.

\*(d) Photograph: A recent good quality passport size unsigned colour photograph (4.5cm X 3.5cm) with white background should be pasted in the space provided. Eyes must be open and both edges of face must be clearly visible.

(e) Elector's Photo Identity Card (EPIC): EPIC will be delivered at given postal address after enrolment, free of cost through speed post under proper acknowledgement.

- <u>Item (1) \*(Name)</u>: The exact name and spelling should be furnished in both official language of the State and English. If filled in only one language, system will transliterate automatically in other language which may lead to spelling mistakes.
- 3. <u>Item (2a) & (2b) (Name and Surname of Relative):</u> In case of a married female applicant, name of husband may preferably be mentioned. (Strike off the inapplicable options in the column).
- 4. <u>Item (5) Aadhaar Details</u>: Aadhaar Number should be furnished for the purpose of authentication of entries. If the applicant does not have Aadhaar number, the same may be mentioned in box at item 5 (b).
- 5. Item (6) (Gender):

\*(a) Gender in the appropriate box provided for 'Male'/ 'Female'/ 'Third Gender' should clearly be tick marked.

(b) Applicants belonging to Third Gender may indicate their sex as 'Male' or as 'Female' or as 'Third Gender'.

#### 6. Item 7(a)(b) (Date of Birth):

\*(a) A self-attested copy of one of the documents mentioned in the form can be attached as age proof. Submission of a document mentioned in the form will ensure speedy registration and delivery of services.

(b) If none of the documents mentioned in the form is available, the applicant should enclose some other document in support of age proof; and name of the said document should be mentioned in item 7(ii) and item (iv) of 'DECLARATION' part in Form. In such case, the applicant will have to appear personally before Electoral Registration Officer or any other officer designated by him for verification.

#### 7. Item 8 (Present Ordinary Residence):

\*(a) Complete postal address with PIN code should be mentioned along with a self-attested copy of any of the mentioned documents in name of applicant/parents/spouse as proof of ordinary residence.

(b) Necessary field verification shall be made in cases of Homeless Indian Citizens living in sheds/pavements and sex workers having no documentary proof of orcinary residence, provided they are otherwise eligible for enrollment.

(c) Students, who are eligible for enrollment, can be enrolled either at their parent's place or at the hostel/mess where they are ordinarily residing.

8. **\*DECLARATION:** All entries in "DECLARATION" portion should be completed in all respects. <u>Please note that giving any false statement made in the DECLARATION portion is a punishable</u> <u>offence under section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) with imprisonment</u> with a term which may extend to one year or with fine or with both. ".

36
11. After Form 6A to the said rules, the following Form shall be inserted, namely:—

"Form-6B
[See Rule 26A]
ELECTION COMMISSION OF INDIA Letter of Information of Aadhaar number for the purpose of electoral roll authentication
I (Name of Elector) am enrolled in electoral roll
of (Name of Assembly/Parliamentary Constituency)
having EPIC Number
I hereby submit the following information for the purpose of authentication of my entry in electoral roll:-
(Please tick the appropriate box)
(i) Aadhaar No. or
(ii) I am not able to furnish my Aadhaar Number because I don't have Aadhaar number. Therefore, I hereby submit a copy of one of the following documents :-
(Please tick any one in the appropriate box)
MGNREGA Job Card.
Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office.
Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour.
Driving License.
PAN Card
Smart Card issued by RGI under NPR.
Indian Passport.
Pension document with photograph.
Service Identity card with photograph issued to employees by Central/State Govt./PSUs/Public Limited Companies.
Official Identity Card issued to MPs/MLAs/MLCs.
Unique Identity ID (UDID) Card, issued by M/o Social Justice and Empowerment, Government of India.
Signature of the elector:
Name of the elector:
E-mail ID/Mobile Number:
Place:
Date ".

# 12. For Forms 7 and 8 to the said rules, the following Forms shall, respectively, be substituted, namely:—

	"Form-7					
	[See rules 13(2) and 26] FORM No.					
	ELECTION COMMISSION OF INDIA (To be filled by office)					
, v	Voter Application Form for Objection for Proposed Inclusion/					
	Deletion of Name in Existing Electoral Roll					
To, The Elector	al Registration Officer,					
	e of Assembly Constituency No. Name					
	e of Parliamentary Constituency@ No. Name					
	Union Territcries not having Legislative Assembly)					
1	plication for objection for proposed inclusion/deletion of name in existing electoral roll.					
(1) Name of the	e applicant					
EPIC No.						
Mobile No.	of Self or					
Mobile No.	of Relative					
	oplication/objection:- (Tick the appropriate option) (Any one)					
	uest to delete name of the person mentioned below already included in the current roll due to any one of the					
	ng reasons:- (tick any one)					
	ath Under Age Absent / Permanently shifted					
	ready enrolled Not Indian Citizen					
(ii) 1 ob	ject to proposed inclusion of name of the person mentioned below due to any one of the following reasons -					
(tick ar						
	ath Under Age Absent / Permanently shifted					
	ready enrolled Not Indian Citizen					
(iii) l re	quest to delete my name from electoral roll due to any one of the following reasons-(tick any one)					
Pe	rmanently shifted Already enrolled Not Indian Citizen					
Death Ce	rtificate attached (Tick the appropriate option)					
(3) The details	of the person in respect of whom objection has been raised, are as below:-					
Name	Surname EPIC No.(if available)					
Address	House/Building/ Street/Area/Locality/					
	Apartment No. Mohalla/Road					
	Town/Village Post Office					
	PIN Code Tehsil/Taluqa/Mandal District State/UT					
	District State/UT					
	DECLARATION					
	RE that to the best of my knowledge and belief that I am aware that making a statement or declaration which is false					
	w or believe to be false or do not believe to be true, is punishable under Section 31 of Representation of the People .950) with imp-isonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.					
Date:	soly war mp isolately of a term when may extend to one year of with the of with both.					
Place:	Signature of Applicant/Thumb Impression					
	ructions:- In the light of provisions of Rights of Persons with Disabilities Act 2016 and Rights of Persons with Disabilities					
	ase of persons with intellectual disability, autism, cerebral palsy and multiple disabilities etc., signature or left hand thumb rson with disability, or signature or left hand thumb impression of his/her legal guardian will be required.					
×	Acknowledgement/Receipt for application					
Acknowledgme						
Received the application in Form 7 of Shri/Smt./Ms.						
	[Applicant can refer the Acknowledgement No. to check the status of application.]					
	Name/Signature of ERO/AERO/BLO					

To be appended to Form-7

## <u>GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION</u> <u>FORM-7</u>

## 1. General Instruction:-

- (a) The application can be made by an elector registered in the existing electoral roll of the constituency.
- (b) The application can be an objection in respect of a registered elector/ an objection to the proposed inclusion of an entry in the electoral roll of the constituency, in which the applicant himself is registered **OR** a request for deletion of the applicant's own name from electoral roll.
- 2. <u>Item No. 1 (Name of the applicant)</u>- The applicant shall mention his name, EPIC no. and mobile number of self 'or' relative (father/mother/husband/legal guardian).
- 3. <u>Item No. 2 (Option of objection/application of deletion):-</u> The applicant has to tick any one option for which he intends to make the application. He must also tick any one of the reasons mentioned below the option, as to why according to him, the person against whom the objection has been made, is not qualified fcr inclusion in the electoral roll viz. due to death, under age, absent/permanently shifted, already enrolled in the electoral roll at the same place or some other place, not an Indian citizen etc. The onus of proof to substantiate the reason given for objection or removal of name lies with the applicant.
- 4. <u>Item No. 3 (Details of the person in respect of whom objection has been made)</u>:-The applicant has to fill up the name, surname, EPIC number and address of the person whose entry is objected to for inclusion or sought to be deleted.
- 5. <u>**DECLARATION:-**</u> The applicant must give a 'DECLARATION' that the facts and particulars mentioned in the application are true to the best of his/her knowledge and belief.

<u>Please note that giving any false statement made in the DECLARATION portion is</u> <u>a punishable offence under section 31 of the Representation of the People Act, 1950</u> (43 of 1950) with imprisonment with a term which may extend to one year or with <u>fine or with both</u>.

Form-8 [See rules 13(3) and 26] FORM No. ELECTION COMMISSION OF INDIA (To be filled by office) Voter Application Form for shifting of Residence/Correction of Entries in Existing Electoral Roll/Replacement of EPIC/Marking of PwD
To,       The Electoral Registration Officer,         No. & Name of Assembly Constituency       No.         Or       No. & Name of Parliamentary Constituency@         (@ only for Union Territories not having Legislative Assembly)
(I) Name of the applicant
EPIC No.
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)         (a)       Aadhaar Number         (b)       I am not able to furnish my Aadhaar Number because I don't have Aadhaar Number.
Mobile No. of Self (or)
Mobile No. of Father/Mother/Any other relative (if available)
Email Id of Self (or)
Email Id of Father/Mother/Any other relative (if available)
<ul> <li>(II) I submit application for (Tick any one of the following)</li> <li>1. Shifting of Residence (or)</li> <li>2. Correction of Entries in Existing Electoral Roll (or)</li> <li>3. Issue of Replacement EPIC without correction (or)</li> <li>4. Request for marking as Person with Disability</li> </ul>
1. Application for Shifting of Residence
I have shifted my residence and I request that my name may be deleted from the previous address and shifted to the current address mentioned below. I request that a replacement EPIC may be issued to me due to change in my address. I hereby return my old EPIC.
Present House/Buildirg/Apartment No. Street/Area/Locality/ Mohalla/Road
Ordinary Town/Village Post Office
Residence         PIN Code         Tehsil/Taluqa/Mandal           (Full Address)         District         State/UT
(Full Address) District State/UT
Self-attested copy of address proof either in the name of applicant or anyone of the parents/spouse/adult child, if already enrolled with as elector at the same address (Attach any one of the documents mentioned below ^):-
1.       Water/Electricity/Gas connection Bill for that address (atleast 1 year)       2.       Aadhaar Card
3. Current passbook of Nationalized/Scheduled Bank/Post Office 4. Indian Passport
5. Revenue Department's Land Owning records including Kisan Bahi
6. Registered Rent Lease Deed (In case of tenant) 7. Registered Sale Deed (In case of own house)
Any Other:- (Pl. Specify)

a A	
2. Application for Correction of Entries in Existing Electoral Roll	
Please correct my following details in Electoral Roll/EPIC:	
(Maximum of 4 entries/particulars can be corrected)	
(Put a tick	
Copy of self-attested Documentary Proof in support of claim to be attached.	
1.   Name   2.   Gender   3.   DoB/Age	SPACE FOR PASTING ONE
4. Relation Type 5. Relation Name 6. Address	RECENT PASSPORT SIZE UNSIGNED COLOR
7. Mobile Number 8. Photo	PHOTOGRAPH (4.5 CM X 3.5 CM) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL
The correct particulars in the entry to be corrected are as under:-	FACE WITH WHITE
	BACKGROUND (ONLY IF
	PHOTO TO BE CHANGED)
Name of Document in support of above claim attached	
I request that a replacement EPIC may be issued to me due to change in my personal details.	
l hereby return my old EPIC.	
3. Application for Issue of Replacement EPIC without correction	
I request that a replacement EPIC may be issued to me as my original EPIC is-	
(Put a tick in appropriate box )	
Lost Destroyed due to reason beyond control like floods, fire, other na	tural disaster etc.
Mutilated	······································
I hereby return my mutilated/ old EPIC (OR) I have attached copy of FIR/Police report for lost EPIC & I the earlier EPIC issued to me if the same is recovered at a later stage.	undertake to return
4. Application for Marking Person with Disability	
Category of disability (Tick the appropriate box for category of disability)	
Locomotive Visual Deaf & Dumb If any other (Give descri	ption)
Percentage of disability: %, Certificate attached (Tick the appropriate box) Yes No	· · ·
DECLARATION	
I HEREBY DECLARE that to the best of my knowledge and belief that I am a citizen of India and I am	÷
statement or declaration which is false and which I know or believe to be false or do not believe to under Section 31 of Representation of the People Act,1950 (43 of 1950) with imprisonment for a term	
one year or with fine or with both.	III WINCH HIAY EALENA LO
Date:	
Place:Signature of Applicant/Thumb Impression	n l
Accessibility Instructions In the light of provisions of Rights of Persons with Disabilities Act 2016 and	Rights of Persons with
Disabilities Rules, 2017, in case of persons with intellectual disability, autism, cerebral palsy and mu ti	
signature or left hand thumb impression of person with disability, or of signature or left hand thumb	impression of his/her
legal guardian will be required. Submission of self-attested copy of mentioned documents will ensure speedy delivery of services.	
Acknowledgement/Receipt for application	×
Acknowledgment Number Date Received the application in Form 8 of Shri/Smt./Ms.	
Name/Signature of ERO/AERO/BLO	

To be appended to Form-8

### GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM-8

### 1. General Instruction:-

(a) The application can be made by a registered/enrolled elector for shifting of residence, or for correction of entries or for issue of replacement EPIC or for marking as PwD.

(b) In case of approval of application by Electoral Registration Officer (ERO) for shifting of residence, correction of entries and issue of replacement EPIC without correction, a new replacement EPIC will be issued to the applicant and he has to return his old EPIC to the Electoral Registration Officer immediately.

- <u>Item No. I (Name of the applicant)</u>- The applicant shall mention his name, EPIC no., Aadhaar number, mobile number and email id of self or relative mentioned therein. Aadhaar Number should be furnished for the purpose of authentication of entries. If the applicant does not have Aadhaar number, the same may be mentioned in box at item I (b).
- 3. <u>Item No. II (Option for application)</u>- The applicant has to tick any one of the options for making application and fill the details in the relevant section of the application. All other sections which are not relevant should be struck off.

## 4. Application for shifting of residence-

(a) The application has to be made to the Electoral Registration Officer of the constituency in which the new address of the applicant is located.

(b) The applicant has to mention his new address, where he has shifted to and presently staying and attach a self-attested copy of any one of the mentioned documents as address proof in his own name or in name of his parents/spouse. He has to tick the mentioned document which he has given as address proof. Mentioned document will ensure speedy delivery of services. If he does not possess any of the mentioned documents, he has to mention name of the other document given for address proof in the blank space.

## 5. Application for correction of entries in existing roll-

(a) If an applicant intends to get any existing entry relating to him in the electoral roll corrected, he has to tick in the appropriate box and attach the document in the support of his claim. The name of the document must be mentioned in the blank space given.

(b) In case, the applicant desires to change his photograph, he has to paste a recent good quality passport size unsigned colour photograph (4.5 cm X 3.5 cm) with white background, in the box meant for it.

- 6. <u>Application for replacement EPIC without correction</u>- The applicant shall put a tick in appropriate box seeking for a replacement EPIC. He shall return his mutilated/old EPIC or submit a copy of FIR/Police report for lost EPIC.
- DECLARATION- The applicant must give a 'DECLARATION' that the facts and particulars mentioned in the application are true to the best of his/her knowledge and belief.
   <u>Please note that giving any false statement made in the DECLARATION portion is a punishable offence under section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) with imprisonment with a term which may extend to one year or with fine or with both.</u> ".

<sup>13.</sup> Forms 8A and 8B to the said rules shall be omitted.

14. For Forms 11 and 11A to the said rules, the following Forms shall be substituted, namely:-

# **"FORM 11**

## [See rules 15 and 16]

# LIST OF OBJECTIONS/ APPLICATION FOR CORRECTION OF ENTRIES/REPLACEMENT OF EPIC/ MAKING OF PWD RECEIVED IN FORM 8

Designated location identity (where applications have been received)		Constituency (Assembly/Parliamentary <sup>£</sup> Constituency			Revision Identity			y
1. List number <sup>@</sup>		2. Period of receipt of applications (covered in this list)		From date To		To date		
					//		//	
3. Place of hearing	ng <sup>*</sup>	L						
Serial Number <sup>\$</sup> of application	Date of receipt	Name of elector objecting/	Reas	ons for object applications	tion/		nte of aring*	Time of hearing*
		making application	Whether correction of entry (Y/N)	Whether replacemen t of EPIC (Y/N)	Whether marking of PwD			
1	2	3	4	5	6	7	'(a)	7(b)
£ In case of union territories having no Legislative Assembly @ For this revision for this designated location *Place, time and date of hearing as fixed by Electoral Registration Officer. \$ Running serial number is to be maintained for each revision for each designated location		Date of exhib under rule 15		hated location	Elec Offi	toral	xhibition at Registration office under	

# FORM 11A

[See rules 15 and 16]

## LIST OF APPLICATIONS FOR SHIFTING OF ADDRESS WITHIN THE CONSTITUENCY RECEIVED IN FORM 8

Designated location identity	Constituency (Assembly/Parliamentary <sup>£</sup>	Revision Identity	
(where applications have	Constituency		
been received)			
1. List number <sup>@</sup>	2. Period of receipt of application (covered	From date	To date
	in this list)		
		//	/

3. Place of hearing	ng <sup>*</sup>			
Serial Number <sup>\$</sup>	Date of	Name of elector	New Address (Present place	Date/Time hearing*
of application	receipt	objection/ making	of ordinary residence)	
	-	application		
	-			
1	2	3	4	5
	ion territorie	s having no Legislative	Date of exhibition at	Date of exhibition at Electoral
Assembly			designated location under	Registration Officer's office
@ For this revisi	on for this de	esignated location	rule 15(1) (b)	under rule 16(b)
*Place, time and	date of hear	ing as fixed by Electoral		
Registration Offi	cer.			
\$ Running serial	number is to	be maintained for each		
revision for each	designated le	ocation		

# FORM 11B

[See rules 15 and 16]

# LIST OF APPLICATIONS FOR SHIFTING OF ADDRESS OUTSIDE THE CONSTITUENCY RECEIVED IN FORM 8

Designated locat (where applicat	tions have	Constituency (Assemb Constitue	• •		Identity	
been received)						
1. List number <sup>@</sup>		2. Period of receipt of application (covered in this list)		From date		To date
				//		//
3. Place of hearing	ng <sup>*</sup>					
Serial Number <sup>\$</sup>	Date of	Name of elector	New Address (Pres	ent place	Date/	Time hearing*
of application	receipt	objection/ making application	of ordinary resid			
1	2	3	4		5	
<ul> <li>£ In case of union territories having no Legislative Assembly</li> <li>@ For this revision for this designated location</li> <li>*Place, time and date of hearing as fixed by Electoral Registration Officer.</li> <li>\$ Running serial number is to be maintained for each revision for each designated location</li> </ul>			Date of exhibit designated location rule 15(1) (b)			hibition at Electoral on Officer's office 16(b)".

# 15. For Forms 18 and 19 to the said rules, the following Forms shall, respectively, be substituted, namely:—

"Form-18
(See Rule 31)
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Claim for inclusion of name in the electoral roll for a Graduates' Constituency
To, The Electoral Registration Officer,
(Graduates) Constituency.
Sir,
I request that my name be registered in the electoral roll for the(Graduates') Constituency.
1. The particulars are:-
Full Name Sex
Father's/Mother's/Husband's Name (in full)
Qualification
Occupation
House Address (Place of ordinary residence)
House/Building/Apartment No. Street/ Mohalla
Town/Village Post Office
Police Station/Tehsil/Taluqa/Mouza
District State
Age       Years       Months       Date of Birth       Image of the synthmy of the synthe synthmy of the synthe synthmy of the synthe
(b) Part/Polling Station No. (if known)
(c) Date of Birth 🛛 🖞 🧭 🕅 🕅 🕅 🥂 😗 🦞 🦞 🦞
(d) EPIC Number (if any)
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)         (a)       Aadhaar Number
(b) I am not able to furnish my Aadhaar Number because I don't have Aadhaar Number
Contact Number :- Mobile No. (optional)
Landline
Email Id (if any)
2. *I am a graduate of theUniversity having passed the degree/diploma examination in the year
OR the second sec
*I am in possession of a diploma/certificate inwhich is a qualification equivalent to that of a graduate University in India having passed the examination for the diploma/certificate in the year

3.	In support of my claim as being a graduate/in possession of the above diploma/ce herewith	ertificate. I submit
4.	**My name has not been included in the electoral roll for this or any other gradue	ates' constituency.
	OR **My name has been included in the electoral roll for thegraduate given below and I request that it be deleted from that roll	es' constituency under the address
		is to the bast of multiplication and
5.	I declare that I am a citizen of India and that all the particulars given above are trubelief.	de to the best of my knowledge and
	Place Date	
		Signature of claimant
	E : Any person who makes a statement or declaration which is false and which he of not believe to be true is punishable under section 31 of the Representation of the	
	ke off the paragraph not applicable. rike off the inappropriate alternative.	
	(Perforation)	
	Intimation of action taken	
(a) (b)	• • • • • •	Serial Noin Part No
Da	te	Electoral Registration Officer, (Address)
	(Perforation) Receipt of application	
	Received the application in Form 18 from Shri/ Smt./Kumari*address*	
Da	te	Electoral Registration Officer, (Address)
	*To be filled in by the applicant	

		•
	m-19	
	Rule 31)	
Claim for inclusion of name in the ele	ctoral roll for a Teachers' Constituen	-
_		SPACE FOR PASTING ONE RECENT UNSIGNED
To,		PASSPORT SIZE COLOR PHOTOGRAPH (4.5 CM X
The Electoral Registration Officer,		3.5 CM) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL
(Teachers') Constituency.		FACE WITH WHITE
Sir,		BACKGROUND
I request that my name be registered in the electoral roll fo	r the (Teachers') Constitu	ency
The particulars are:-		ency.
Full Name	Sex	
Father's/Mother's/Husband's Name (in full) House Address (Place of ordinary residence)		
House/Building/Apartment No.	Street/ Mohalla	
Town/Village	Post Office	
Police Station/Tehsil/Taluga/Mouza		
District	State	
Age Years Months	Date of Birth	
Disability (if any):- ( <i>Tick appropriate box</i> ) (optional Field) Visual impairment Speech & hearing d	izabilitu	Other
	· ·	Other
Whether registered as an elector for any assembly constituence	У	
If yes, then mention the following		
<ul> <li>(a) Number and Name of the Assembly constituency</li> <li>(b) Part/Polling Station No. (if known)</li> </ul>		
(c) Date of Birth	3.4 N	
(d) FPIC Number (if any)	<u> </u>	
(d) EPIC Number (if any) Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)		
(d) EPIC Number (if any) Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box) (a) Aadhaar Number		
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)         (a)       Aadhaar Number		
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)         (a)       Aadhaar Number         (b)       I am not able to furnish my Aadhaar Number beca		
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)         (a)       Aadhaar Number         (b)       I am not able to furnish my Aadhaar Number beca         Contact Number :-		
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)         (a)       Aadhaar Number         (b)       I am not able to furnish my Aadhaar Number beca		
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)         (a)       Aadhaar Number         (b)       I am not able to furnish my Aadhaar Number beca         Contact Number :-		
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)         (a)       Aadhaar Number         (b)       I am not able to furnish my Aadhaar Number beca         Contact Number :-       Mobile No. (optional)         Landline       I and I a		
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)         (a)       Aadhaar Number         (b)       I am not able to furnish my Aadhaar Number beca         Contact Number :-       Mobile No. (optional)		
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)         (a)       Aadhaar Number         (b)       I am not able to furnish my Aadhaar Number beca         Contact Number :-       Mobile No. (optional)         Landline       I and I a	use I don't have Aadhaar Number	s as follows-
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)         (a)       Aadhaar Number         (b)       I am not able to furnish my Aadhaar Number beca         Contact Number :-       Mobile No. (optional)         Landline       Email Id (if any)	use I don't have Aadhaar Number	s as follows- Period
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)         (a)       Aadhaar Number         (b)       I am not able to furnish my Aadhaar Number beca         Contact Number :-       Mobile No. (optional)         Landline       Image: Contact I and the second secon	or a total period of more than three year	
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)         (a)       Aadhaar Number         (b)       I am not able to furnish my Aadhaar Number beca         Contact Number :-         Mobile No. (optional)         Landline         Email Id (if any)         2.       During the last six years, I have been engaged in teaching for Name of Educational Institution         1.         2.	or a total period of more than three year	
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)         (a)       Aadhaar Number         (b)       I am not able to furnish my Aadhaar Number beca         Contact Number :-         Mobile No. (optional)         Landline         Email Id (if any)         2.       During the last six years, I have been engaged in teaching f         Name of Educational Institution         1.         2.         3.	or a total period of more than three year	
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)         (a)       Aadhaar Number         (b)       I am not able to furnish my Aadhaar Number beca         Contact Number :-         Mobile No. (optional)         Landline         Email Id (if any)         2.       During the last six years, I have been engaged in teaching for Name of Educational Institution         1.         2.	or a total period of more than three year	
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)         (a)       Aadhaar Number         (b)       I am not able to furnish my Aadhaar Number beca         Contact Number :-         Mobile No. (optional)         Landline         Email Id (if any)         2.       During the last six years, I have been engaged in teaching f         Name of Educational Institution         1.         2.         3.         4.	or a total period of more than three year	
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)         (a)       Aadhaar Number         (b)       I am not able to furnish my Aadhaar Number beca         Contact Number :-         Mobile No. (optional)         Landline         Email Id (if any)         2.       During the last six years, I have been engaged in teaching f         Name of Educational Institution         1.         2.         3.	or a total period of more than three year	
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)         (a)       Aadhaar Number         (b)       I am not able to furnish my Aadhaar Number beca         Contact Number :-         Mobile No. (optional)         Landline         Email Id (if any)         2.       During the last six years, I have been engaged in teaching f         Name of Educational Institution         1.         2.         3.         4.	or a total period of more than three year	

3.	*My name has not been included in the electoral roll for this or any other teachers' constituency. OR
-	*My name has been included in the electoral roll for theteachers' constituency under the address given below and I request that it be deleted from that roll :-
- 4.	I declare that I am a citizen of India and that all the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.
	Place
	Date Signature of claimant
	TE : Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or s not believe to be true is punishable under section 31 of the Representation of the People Act, 1950.
*Str	ike off the paragraph not applicable.
	(Perforation)
	Intimation of action taken The application in Form 19 of Shri/Smt./Kumariaddress
(a (b	No
Da	ete Electoral Registration Officer, (Address)
Da	te Electoral Registration Officer, (Address)
	*To be filled in by the applicant".

[F. No. H-11019/4/2019-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 2750(E), dated the 10<sup>th</sup> November, 1960 and the rules were lastly amended *vide* number S.O. 2968(E), dated the 16<sup>th</sup> September, 2016.

#### अधिसूचना

### नई दिल्ली, 17 जून, 2022

**का.आ. 2803(अ)**—केंद्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 23 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2023 को ऐसी तारीख के रूप में अधिसूचित करती है, जिस तारीख को या जिसके पूर्व प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाता है, उक्त धारा के अनुसार अपना आधार संख्यांक सूचित कर सकेगा।

[फा. सं. एच-11019/4/2019-वि.II]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

#### NOTIFICATION

#### New Delhi, the 17th June, 2022

**S.O. 2803(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 23 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Central Government hereby notifies the 1st April, 2023 as the date on or before which every person whose name is included in the electoral roll may intimate his Aadhaar number in accordance with the said section.

[F. No. H-11019/4/2019-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel

# अधिसूचना

## नई दिल्ली, 17 जून, 2022

**का.आ. 2804(अ)**—केंद्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 के साथ पठित धारा 77 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 17 के खंड (ख) में, ''पत्नी'' शब्द के स्थान पर, ''पति या पत्नी'' शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं. एच-11019/4/2019-वि.II]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. का.आ. 859(अ), तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. का.आ. 72(अ), तारीख 6 जनवरी, 2022 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे।

#### NOTIFICATION

#### New Delhi, the 17th June, 2022

**S.O. 2804(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 77 read with section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission of India, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Second Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the 1st day of August, 2022.

**2.** In the Conduct of Elections Rules, 1961, in rule 17, in clause (b), for the word "wife", the word "spouse" shall be substituted.

[F. No. H-11019/4/2019-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O.859(E), dated the 15<sup>th</sup> April, 1961 and were lastly amended *vide* notification number S.O. 72 (E), dated the 6<sup>th</sup> January, 2022.

# अधिसूचना

## नई दिल्ली, 17 जून, 2022

**का.आ. 2805(अ)**—केंद्रीय सरकार, निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 49) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अगस्त, 2022 को ऐसी तारीख के रूप में, जब उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है ।

[फा. सं. एच-11019/4/2019-वि0.II]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

## NOTIFICATION

### New Delhi, the 17th June, 2022

**S.O. 2805(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Election Laws (Amendment) Act, 2021 (49 of 2021), the Central Government hereby appoints the 1st August, 2022 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. H-11019/4/2019-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel